[2020] 11 एस. सी. आर. 597

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

वी.

केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

(2020 की सिविल अपील संख्या 4096)

18 दिसंबर, 2020

[अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 342-संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950-उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 'गोवारी' को 'गोंड गोवारी' घोषित करने वाली रिट याचिकाओं को अनुमति दी। प्रविष्टि 18,1950 आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः Art.342 (2) में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची से कोई भी समावेश या बहिष्कार

जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट यू/Art.342 (1) केवल संसद द्वारा कानून द्वारा किया जा सकता है-उच्च न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकता था

यह पता लगाने और यह तय करने के लिए कि गोवारी जनजाति 1950 के आदेश में शामिल अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" का हिस्सा है, सबूतों का दावा करें या उन पर गौर करें-बी. बसावलिंगप्पा मामले में संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात में कोई टकराव नहीं है जो [1965] एस. सी. आर. 316 के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं और मिलिंद मामले में [2000] 5 पूरक के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं। एस. सी. आर. 65-इसके अलावा, उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर भी विचार नहीं कर सकता था कि "गोंड गोवारी" अब अस्तित्व में नहीं है और 1911 से पहले विलुप्त हो गया है-कास्ट

' 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' के समान नहीं है-उच्च न्यायालय ने 'गोवारी' को 'गोंड गोवारी' घोषित करने में गलती की, एक अनुसूचित जनजाति जिसे प्रविष्टि 18 में मद 28 में संदर्भित किया गया है-विवादित फैसले ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956-राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 संविधान का भाग XVI "कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों" से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 342 संविधान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 342 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 दिनांक 06.09.1950 जारी किया था। अनुसूची में इसका विवरण है -

विभिन्न राज्यों के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूची का भाग III बॉम्बे राज्य से संबंधित है और भाग III की प्रविष्टि संख्या 9 का उल्लेख किया गया है " 9. गोंड "। भाग IV मध्य प्रदेश से संबंधित है जहाँ प्रविष्टि No.12 में भी "गोंड [मडिया (मारिया) और मुडिया (मुरिया) सहित]" का उल्लेख है। संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) नामक एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम, 1956 कुछ जातियों और जनजातियों और उनसे जुड़े मामलों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल करने और उनसे बाहर करने का प्रावधान करता है। अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अनुसार, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को अनुसूची III में निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक संशोधित किया गया था। अनुसूची III में, प्रविष्टि संख्या 9 को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया थाः - " 9. गोंड या राजगोंड "। भाग IV जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, प्रविष्टि 12 को प्रतिस्थापित किया गया था। [पारस 26-30] [621 D, G; 622-B, E-H]

1.2 मध्य प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों में संशोधन अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप किया गया था पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट जिसे कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में प्रकाशित अनुसूचित जनजातियों की सूची के संबंध में मध्य प्रदेश के संबंध में पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ-साथ

रिपोर्ट का खंड II। अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि No.12 गोंड [मडिया (मारिया) और मुडिया (मुरिया) सहित] के संबंध में थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने गोंड के साथ गोंड की कई उप-जनजातियों को जोड़ने का सुझाव दिया। तालिका के कॉलम No.VI में "समावेश के लिए आयोग की सिफारिश" शीर्षक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को संसद द्वारा भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 8 में एक नए बॉम्बे राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 8 (1) (सी) के आधार पर कुछ जिले, जो उस समय मध्य राज्य में मौजूद थे। प्रदेश को नए बॉम्बे राज्य में शामिल किया गया था। ये जिले पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 41 में भाग 2 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवर्तनों और नए राज्यों के गठन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों में संशोधन का प्रावधान है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 41 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित राज्य महाराष्ट्र और ए. एन. आर.

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

आदेश 1950 के तहत जनजाति सूचियों में संशोधन दिनांक 29.10.1956 पर जारी किया गया था। अनुसूची का भाग IV बॉम्बे से संबंधित था। अनुसूची III में संविधान (अनुसूचित) में संशोधन शामिल है।

जनजाति) आदेश, 1950। इस प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद

अधिनियम, 1956 के संशोधन आदेश दिनांक 29.10.1956 द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजाति "गोंड" "गोंड गोवारी" को जोड़ा गया था। विशिष्ट क्षेत्रों में बॉम्बे राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजाति के रूप में गोंड के प्रवेश के संबंध में, "गोंड गोवारी" सहित कई उप-जनजातियों को जोड़ा गया था। [पारस 31-34] [624-D-F; 626-B-C, D F; 628-A-B]

1.3 संसद ने अनुसूचित जातियों को अधिनियमित किया और

अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम) संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन के लिए कुछ जातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उन्हें सूची से बाहर करने का प्रावधान करता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण प्रासंगिक हैं। अधिनियम, 1976 की दूसरी अनुसूची में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में प्रतिस्थापन का प्रावधान है जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, जिसका गठन किया गया था, दूसरी अनुसूची का भाग IX, प्रविष्टि No.18 अनुसूचित जनजाति "गोंड" से संबंधित है। इसके बाद, संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 पारित किया। प्रविष्टि 18 में महाराष्ट्र से संबंधित अनुसूची के संबंध में किया गया एकमात्र संशोधन निम्नलिखित प्रभाव से थाः - " (i) भाग IX-महाराष्ट्र में- (i) प्रविष्टि 12 को हटा दें; (ii) प्रविष्टि 18 में "गोंड राजगोंड" के स्थान पर "गोंड, राजगोंड"; (iii) प्रविष्टि 45 को हटा दें; "

अनुसूचित जाति आदेश में उपरोक्त संशोधन

उस देखभाल को इंगित करें जो विधानमंडल द्वारा वर्णन करने में ली गई थी अनुसूचित जनजाति प्रविष्टियाँ। "गोंड राजगोंड" की पूर्व प्रविष्टि No.18 में उपरोक्त संशोधन द्वारा, प्रतिस्थापन किया गया था जिसके द्वारा

अब इसे "गोंड, राजगोंड" के रूप में पढ़ा जाता है। [पारस 35-39] [628-B-D; 629 B-C, E, H; 630-B-C]

1.4 विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1) क्या उच्च न्यायालय इन अपीलों को जन्म देने वाली रिट याचिका में जाति के दावे पर विचार कर सकता था

" गोवारी ", जो अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं है

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, कि इसे "गोंड गोवारी" के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, जो महाराष्ट्र राज्य में लागू संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की मद No.18 में शामिल है और आगे इस तरह के दावे पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य लेने के लिए?

2) क्या बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. म्यूनिचिन्नाप्पा मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का अनुपात,

ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269 उच्च न्यायालय को यह पता लगाने के लिए साक्ष्य लेने की अनुमति देता है कि क्या 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' है और क्या बी. में संविधान पीठ के फैसले के अनुपात में कोई टकराव है।

बसावलिंगप्पा और उसके बाद के संविधान पीठ के फैसले

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद, (2001) 1 एस. सी. सी. 4 में इस न्यायालय का?

5) क्या 'गोवारी' जाति 'गोंड गोवारी' के समान है जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की वस्तु No.28, प्रविष्टि 18 में शामिल किया गया है और उच्च न्यायालय 'गोवारी' जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए 'गोंड गोवारी' के रूप में घोषित कर सकता था? 6) क्या उच्च न्यायालय का यह विचार सही है कि संविधान की प्रविष्टि 18 में 'गोंड गोवारी' को वस्तु No.28 के रूप में दिखाया गया है?

(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 गोंड की उप-जनजाति नहीं है, इसलिए इसकी वैधता का परीक्षण निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

सरकारी संकल्प दिनांक 24.04.1985 में? [पैरा 40] [630-सी एच; 631-ए-सी] महाराष्ट्र और ए. एन. आर. का राज्य।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

1.5 प्रश्न संख्या। 1 और 2

भारत के संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं -

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की संवैधानिक आकांक्षाओं को पूरा करना। अनुच्छेद 341 और 342

और संविधान के भाग XIV में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के रूप में कई प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 342 संविधान में उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करने वाली सार्वजनिक अधिसूचना की परिकल्पना की गई है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति मानी जाएगी। उपखंड (2) में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों की सूची से कोई भी समावेशन या बहिष्करण

अनुच्छेद 342 के खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना केवल संसद द्वारा कानून द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार, अनुच्छेद 342 के उपखंड (2) में केवल संसद को अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 342 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट सूची में किसी अनुसूचित जनजाति को शामिल और बहिष्कृत करना। [पैरा 41] [631-सी-एफ]

1.6 उच्च न्यायालय इस दावे पर विचार नहीं कर सकता था या उस जनजाति का पता लगाने और निर्णय लेने के लिए सबूतों पर गौर नहीं कर सकता था

" गोवारी "अनुसूचित जनजाति" गोंड गोवारी "का हिस्सा है, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल किया गया है। बी. बसावलिंगप्पा के मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों और महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य के अनुपात में कोई विरोधाभास नहीं है। बी. बसावलिंगप्पा के मामले का अनुपात फैसले के पैराग्राफ 6 में उल्लेख किया गया है कि भैयालाल के मामले में बाद के दो संविधान पीठ के फैसलों द्वारा दोहराया गया है और

मिलिंद का मामला। उपरोक्त तीन संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात में कोई टकराव नहीं होने के कारण, इस दलील में कोई सार नहीं है कि संघर्ष को हल करने के लिए मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, प्रश्न Nos.1 और 2 का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया जाता है:

(i) उच्च न्यायालय इन अपीलों को जन्म देने वाली रिट याचिका में जाति "गोवारी" के दावे पर विचार नहीं कर सकता था।

कि इसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 [2020] 11 एस. सी. आर. की प्रविष्टि No.18 में शामिल "गोंड गोवारी" के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए।

न ही उच्च न्यायालय उपरोक्त दावे पर निर्णय लेने के लिए सबूत ले सकता था।

((ii) बसावलिंगप्पा के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुपात में कोई विरोधाभास नहीं है और

मिलिंद का मामला। [पैरा 61] [645-जी-एच; 646-ए-डी]

2.1 प्रश्न संख्या। 3 और 4

महाराष्ट्र राज्य पर लागू संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि 18 की मद No.28 में अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" निम्नलिखित सूची में बनी हुई है -

बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र राज्य) की अनुसूचित जनजातियाँ 29.10.1956 के बाद से। महाराष्ट्र राज्य में समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा "गोंड गोवारी" जाति अनुसूचित जनजाति के बड़ी संख्या में सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। समय। 2008 की रिट याचिका संख्या 4779 (आदिवासी गोंड गोवारी (गोवारी) सेवा मंडल अपने अध्यक्ष बनाम के माध्यम से। की स्थिति

महाराष्ट्र और अन्य) (उच्च न्यायालय के समक्ष चार रिट याचिकाओं में से एक) रिट याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या के नाम पर जारी जाति वैधता प्रमाण पत्रों को रद्द करने और अलग करने का अनुरोध किया है। 4 19 तक "गोंड गोवारी", अनुसूचित जनजाति के रूप में। तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका थी जिसमें "गोंड गोवारी" के 16 उत्तरदाताओं को दिए गए जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जो स्पष्ट रूप से समुदाय "गोंड गोवारी" के अस्तित्व को साबित करता है। हालांकि ऐसा हुआ है

वर्ष की शुरुआत में महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई सिफारिशें

1967 और उसके बाद वर्ष 1979 में "गोवारी" को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए उक्त सिफारिशों को कभी स्वीकार नहीं किया गया

संसद द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संसद द्वारा कई संशोधन अधिनियमों को पारित करने के बावजूद अनुसूचित जनजाति में "गोंड गोवारी" की प्रविष्टि को कभी नहीं हटाया गया। "गोंड गोवारी" की प्रविष्टि को हटाने और गोवारी द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए एक निजी विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था और अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आर. वी. रसेल और राय बहादुर हीरालाल की पुस्तक "ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया" का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है जिसमें "गोंड गोवारी" और "गोवारी" जातियों को अलग-अलग अलग रूप में वर्णित किया गया था।

जातियाँ। यह भी रिकॉर्ड में है कि महाराष्ट्र राज्य ने दिनांकित 26.03.1979 और 12.06.1979 पत्रों के माध्यम से गोवारी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

महाराष्ट्र राज्य ने अनुच्छेद 3 (iii) में अनुसूचित जनजातियों के विषय पर गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा। राज्य सरकार ने गोवारी की सिफारिश की उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत संघ को महाराष्ट्र सरकार के दिनांकित 26.03.1979 पत्र में हालांकि

गोवारी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश की गई थी लेकिन अनुसूचित जनजातियों की सूची से "गोंड गोवारी" को हटाने की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इस प्रकार, गोवारी को एक अलग अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने की सिफारिश वर्ष 1979 में महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई थी जिसे 1981 में वापस ले लिया गया था और 1981 के बाद राज्य का रुख रहा है कि "गोंड गोवारी" और "गोवारी" दो अलग-अलग जातियां हैं और गोवारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लाभ के लिए हकदार नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार, जनजातीय विकास विभाग ने जी. आर. दिनांक 24.04.1985 जारी किया है जिसमें राज्य सरकार ने "गोंड गोवारी" को गोंड की छोटी उप-जनजाति के रूप में संदर्भित किया है और गैर-अनुसूचित जनजाति जाति को गोवारी के रूप में संदर्भित किया गया है। सरकारी प्रस्ताव दिनांक 24.04.1985 के साथ अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक तुलनात्मक चार्ट संलग्न किया गया था जो लाभ का दावा कर रहा था। उच्च न्यायालय के समक्ष जो सामग्री रिकॉर्ड में थी और साथ ही पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में "गोंड गोवारी" को जारी रखा गया था, वह उच्च न्यायालय के लिए जांच में आगे बढ़ने के लिए खुला नहीं था कि क्या

अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" अस्तित्व में नहीं है। [पैरा 62 65] [647-ए-डी, एफ-जी; 648-बी-डी; 649-ई-एफ]

2.2 उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में 1891 और 1901 की जनगणना में "गोंड गोवारी" का उल्लेख पाया है। उपरोक्त दो में "गोंड गोवारी" के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं।

नागपुर संभाग में जनगणना देखी गई। उच्च न्यायालय ने स्वयं इस बात पर ध्यान दिया कि 1911 में जनगणना के आधार को बदल दिया गया था, पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया गया था जिसमें समूह IV वन और पहाड़ी जनजातियों का था और समूह V चरवाहों और डेयरी मालिकों का था, 1911,1921 और 1931 के आंकड़े देखे गए हैं, जबकि समूह V में चरवाहों और डेयरी मालिकों की संख्या थी।

गोवारी का उल्लेख था। केवल यह तथ्य कि 1911,1921 और 1931 की जनगणना में केवल समूह V, यानी, चरवाहे और डेयरीमैन के आंकड़े दिए गए थे और "गोंड गोवारी" का कोई उल्लेख नहीं था [2020] 11 एस. सी. आर.

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गया था। एक अनुसूचित जनजाति जो निश्चित रूप से अस्तित्व में थी और जिसकी एक अलग पहचान थी, उसे केवल इसलिए विलुप्त नहीं माना जाएगा क्योंकि बाद के वर्षों में जनगणना का आधार बदल दिया गया है। अनुसूचित जनजाति को दिया जाने वाला लाभ

केवल जनगणना संचालन में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। संविधान में संशोधन किए गए हैं

(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 समय-समय पर। संसद के अधिनियम द्वारा कई जनजातियों को सूची से हटा दिया गया और कई नई जनजातियों को शामिल किया गया। संसद की संयुक्त समिति द्वारा जनजातियों के बहिष्कार के लिए सिफारिशें की गई थीं जिन्हें 1961 और 1971 की जनगणना में उन समुदायों के संबंध में कोई वापसी नहीं होने पर बाहर रखा गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को तब तक बाहर रखा गया था जब तक कि 1961 और 1971 की जनगणना के संबंध में कोई विवरण नहीं था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा आधार कि जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 की जनगणना से पहले और उसके बाद विलुप्त हो गई थी। 1911, 1921 और 1931 की जनगणना में उन्हें समूह V में नहीं दिखाया गया था।

पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उप-जनजाति को "गोंड गोवारी" के रूप में शामिल किया गया था।

29.10.1956 जब उप-जनजाति "गोंड गोवारी" को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था, तो यह माना जाना चाहिए कि उक्त समावेशन राज्य के साथ परामर्श करने और प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क के आधार पर संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" को शामिल करने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने आर. वी. रसेल और राय बहादुर हीरालाल की पुस्तक "ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया" का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है जिसमें खंड III समुदाय की पुस्तक गोंड, गोंड गोवारी और गोवारी सभी पर अलग-अलग चर्चा की गई थी। गोंड गोवारी को एक अलग जाति माना गया है और जनगणना में उन्हें गोवारी के साथ मिला दिया गया है। रसेल द्वारा दिया गया विवरण करता है

इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गए थे। [पारस 70,71 और 74] [651-ई-एच; 652-ए-बी, डी-जी; 654-सी]

2.3 यह पिछड़ा वर्ग आयोग (1955) की रिपोर्ट के बाद था, जहाँ गोवारी को महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

निर्णय के पैराग्राफ 68 ने स्वयं रिपोर्ट का उल्लेख किया है शोध अधिकारी दिनांकित 12.05.2006। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोवारी समुदाय के संबंध में लिए गए निर्णय के आधार पर जनजातीय विकास विभाग को तथ्यों का पता लगाने का काम सौंपा गया था। 12.05.2006 पर अनुसंधान अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से उन क्षेत्रों का दौरा किया जिनमें गढ़चिरौली जिले के विभिन्न गांवों में गोवारी जाति और "गोंड गोवारी" जाति की अधिकतम आबादी पाई गई थी। उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान दिया है कि अनुसंधान अधिकारियों ने शोध किया और 01.07.1955 पर "गोंड गोवारी" की प्रविष्टि भी पाई है। इस प्रकार, 29.10.1956 से पहले के अनुसंधान अधिकारियों ने "गोंड गोवारी" पाया इसलिए उपरोक्त साक्ष्य, जिस पर उच्च न्यायालय ने खुद भरोसा किया था, ने साबित किया कि "गोंड गोवारी" जनजाति अस्तित्व में थी और अनुसंधान अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पाई गई थी। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अनुसंधान अधिकारियों को "गोंड गोवारी" के रूप में कोई प्रविष्टि नहीं मिली, तथ्यात्मक रूप से गलत है और जो पैराग्राफ 68 में पाया गया था, उसके विपरीत है। [पारस 75-78] [654-C-H; 655-EF; 656-A]

2.4 यह न्यायालय पहले ही सरकार को नोट कर चुका है

"गोंड" और "गोंड गोवारी" के बीच का अंतर, "गोंड गोवारी" के अनुसूचित जनजाति समुदाय और गोवारी समुदाय के चरित्र और रीति-रिवाजों में अंतर, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, राज्य के जनजातीय विकास विभाग द्वारा दिनांकित 24.4.1985 प्रस्ताव। सरकारी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अध्ययन के बाद जारी किया गया था, उच्च न्यायालय ने हालांकि फैसले के पैराग्राफ 70 में उपरोक्त प्रस्ताव पर ध्यान दिया है, लेकिन दो [2020] 11 एस. सी. आर. में अंतर करने का कोई कारण नहीं बताया है।

जनजातियों को त्याग दिया जाना चाहिए। एक और कारण है जिसके कारण उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी, त्रुटिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि 2008 की रिट याचिका No.4779 में अद्वासियों "गोंड गोवारी" द्वारा अनुसूचित जनजाति को निरस्त करने के लिए एक प्रार्थना की गई थी।

"गोंड गोवारी" को प्रत्यर्थी संख्या को दिए गए प्रमाण पत्र। 4 19 तक। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करके "गोंड गोवारी" के प्रमाण पत्र मांगे हैं। उच्च न्यायालय ने समिति के अभिलेखों पर गौर करने के बाद पैराग्राफ 83 में 39 दावेदार पाए।

उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जो अवधि 1922-1923 से संबंधित पी. आई. राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों की प्रकृति के हैं। जब उच्च न्यायालय के समक्ष "गोंड गोवारी" के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बड़ी संख्या में दाखिल किए गए थे और राजस्व प्रविष्टियों द्वारा समर्थन करने के लिए दस्तावेज थे जिनमें से कुछ 1950 से पहले की हैं और जिन प्रमाण पत्रों को रिट याचिका में रद्द करने की मांग की गई थी, तो अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" का अस्तित्व बहुत अधिक पाया गया। जाति जाँच समिति ने उक्त प्रमाणपत्रों को मान्य करने के बाद उच्च न्यायालय के लिए यह कहना खुला नहीं था कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। "गोंड गोवारी" उम्मीदवारों के अनुसंधान अधिकारियों की रिपोर्ट दिनांकित "आईडी1" और अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों सहित उच्च न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य थे, उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं था कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय ने सभी प्रमाणपत्रों को तलब किया और ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि प्रमाण पत्र नकली थे या जिन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए गए थे वे अस्तित्व में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती की कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई सामग्री के आधार पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। [पारस 79-81] [656 B-D, H; 657-A-D]

2.5 इस प्रकार, प्रश्न Nos.3 और 4 का उत्तर निम्नलिखित में दिया गया है।

तरीका -

उत्तर सं. 3

उच्च न्यायालय इस मुद्दे में प्रवेश नहीं कर सकता था कि "गोंड गोवारी" जो महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य में उल्लिखित अनुसूचित जनजाति थी।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जैसा कि 1976 तक संशोधित किया गया था, अब अस्तित्व में नहीं है और 1911 से पहले विलुप्त हो गया था।

उत्तर सं. 4

विवादित फैसले में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

यह कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी, उन सामग्रियों द्वारा समर्थित नहीं है जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में थीं। [पैरा 82] [657-ई-जी]

3.1 प्रश्न संख्या 5 और 6

' 'गोवारी' और 'गोंड गोवारी' ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'गोंड गोवारी' को 'गोवारी' से अलग जाति माना गया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, नेशनल सीरीज द्वारा प्रकाशित पुस्तक में एक अन्य पिछड़े समुदाय 'गोवारी' को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। "अनुसूचित जनजातियों" पर खंड III। [पारस 83] [657-एच; 658 ए-बी]

3.2 इस न्यायालय ने आगे 1891 और 1901 की जनगणना पर ध्यान दिया है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है। 'गोवारी' की आबादी को 'गोंड गोवारी' की आबादी से अलग दिखाया गया है। बसावलिंगप्पा और भैयालाल के साथ-साथ मिलिंद के मामले में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले का अनुपात भी देखा गया। उच्च न्यायालय उस जाति को, जो अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं है, घोषित करने के लिए जांच शुरू नहीं कर सकता था। द हाई अदालत यह घोषणा नहीं कर सकती थी कि 'गोवारी' जाति 'गोंड गोवारी' है जिसका उल्लेख संवैधानिक अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 की प्रविष्टि 18 की मद 28 में किया गया है। उच्च न्यायालय का विचार है कि 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है, इसलिए इसकी वैधता का परीक्षण सरकारी आदेश दिनांक 24.04.1985 में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

यह भी सही नहीं है। प्रथम पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट

(1955) जिसके द्वारा 'गोवारी' को 'गोंड' की उप-जनजाति के रूप में जोड़ने की सिफारिश की गई थी, वह पिछड़े आयोग के अध्ययन और शोध के आधार पर थी जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने मध्य भारत में जनजातियों पर आधिकारिक पुस्तकों पर भी ध्यान दिया है कि 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की एक उप-जनजाति है।

सरकारी प्रस्ताव दिनांक 29.04.1985 तुलनात्मक चार्ट संलग्न किया गया था जिसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी दी गई थी।

और गैर-अनुसूचित जनजाति अर्थात ' गोंड गोवारी 'और' गोवारी 'दी गई हैं। सरकारी प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि

' गोंड गोवारी भी 'गोंड' जनजाति की एक छोटी उप-जनजाति है। [पारस 86-88] [859-B-F]

3.3 'गोवारी' शब्द के साथ 'गोंड' जोड़ दिया जाता है। द.

'गोंड गोवारी' अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि 'गोंड गोवारी' समुदाय का संबंध जनजाति 'गोंड' से है। गोंड गोवारी 'एक ऐसा समुदाय है जिसका' गोंड 'से लगाव है और यह' गोंड 'की उप-जनजाति है। अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में 'गोंड गोवारी' का प्रवेश 'गोंड' की एक उप-जनजाति के रूप में था जो पिछड़े वर्ग आयोग, 1955 की एक रिपोर्ट से स्पष्ट है। जब समावेशन

प्रविष्टि 'गोंड गोवारी' (गोंड की उप-जनजाति) के रूप में थी, 'गोंड' के साथ इसकी आत्मीयता को किसी भी आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय समूह प्रविष्टि के संबंध में महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम जमात मंडल में निर्णय के अनुपात की शुद्धता के बारे में अपने स्वयं के संदेहों को स्वीकार करता है। अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार, संविधान के प्रयोजनों के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। जुड़ने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए

एक प्रविष्टि में जनजातियों की संख्या, लेकिन 'गोंड गोवारी' के संबंध में संबंध 'गोंड' के साथ स्पष्ट से अधिक है और महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम जमात मंडल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को यह मानने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है और 'गोंड' जनजाति द्वारा गोंड के साथ कोई संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

गोवारी '। जहाँ तक अनुसूचित जनजाति 'गोंड गोवारी' का संबंध है, सरकारी प्रस्ताव दिनांक 24.04.2984 में कोई दुर्बलता नहीं है।

चिंतित हैं। [पारस 92,94] [661-बी-डी, एफ-एच; 662-ए]

3.4 उत्तर सं. 5

जाति 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' के समान नहीं है। उच्च न्यायालय जाति 'गोवारी' की घोषणा नहीं कर सकता था

'गोंड गोवारी' के रूप में।

उत्तर संख्या 6

उच्च न्यायालय का यह विचार सही नहीं है कि 'गोंड गोवारी' को अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950, महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. की प्रविष्टि 18 में मद No.28 के रूप में दिखाया गया है।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है। 'गोंड गोवारी' के लिए जाति प्रमाण पत्र की वैधता का परीक्षण सरकारी संकल्प दिनांक 24.04.1985 में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर किया जाना है। पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा फैसले के पैराग्राफ 74 में दिए गए कारणों में से कोई भी यह मानने के लिए टिकाऊ नहीं है कि 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के हकदार हैं। उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा आधार कि जनजाति 'गोंड गोवारी' 1911 से पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी

रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष खड़े हों कि 'गोवारी' हैं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए हकदार नहीं। [पैरा 98] [663-ए-बी]

4. न्याय के उद्देश्यों में यह निर्देश दिया जाता है कि 'गोवारी' के सदस्यों द्वारा लिया गया प्रवेश और रोजगार सुरक्षित किया जाए।

अब तक 14.08.2018 के बीच उन्हें दिए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर समुदाय इस निर्णय से प्रभावित नहीं होगा और उन्हें इसका लाभ बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

उनके द्वारा प्राप्त अनुसूचित जनजाति। हालांकि, उपरोक्त

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपने प्रारंभिक प्रवेश या विभिन्न स्थानों पर रोजगार के अलावा अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी भी और लाभ के हकदार नहीं होंगे, जो 14.08.2018 और इस दिन के बीच प्राप्त 'गोवारी' समुदाय को दिए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के बल पर होगा। उच्च न्यायालय ने प्रविष्टि 18 में मद 28 में निर्दिष्ट 'गोवारी' को 'गोंड गोवारी' के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित करने में गलती की। विवादित फैसला उच्च न्यायालय की दिनांक 14.08.2018 को दरकिनार कर दिया गया है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। [पारस 101-103] [664-B-D]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। मिलिंद और ओआरएस। (2001) 1 एससीसी 4: [2000] 5 पूरक। एस. सी. आर. 65; बी. बसावलिंगप्पा बनाम। डी.

[202

0] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

म्यूनिचिन्नाप्पा और ओआरएस। आकाशवाणी 1965 एससी 1269: [1965]

एस. सी. आर. 316; भैयालाल बनाम हरिकिशन सिंह और अन्य।

ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1557 [1965] एस. सी. आर. 877-इसके बाद आया। श्रीश कुमार चौधरी बनाम। त्रिपुरा राज्य और अन्य।

(1990) पूरक। एससीसी 220: [1990] एस. सी. आर. 576; पालघाट जिला थंदन स्मुदय संरक्षण समिति और अन्र। वी.

केरल राज्य और अन्र। (1994) 1 एससीसी 359: [1993]

3 पूरक। एस. सी. आर. 872; कुमारी माधुरी पाटिल और अन्र। वी.

एडल्ट। आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य।

(1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3 पूरक। एससीआर 50; नित्यानंद

शर्मा और अन्र। वी. बिहार राज्य और अन्य। (1996) 3

एस. सी. सी. 576 [1996] 2 एस. सी. आर. 1-पर निर्भर था।

महाराष्ट्र राज्य बनाम। माना आदिम जमात मंडल

(2006) 4 एससीसी 98: [2006] 2 एस. सी. आर. 1142-आयोजित नहीं

लागू होता है।

आदिवासी गोवारी समाज संगठन, महाराष्ट्र और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। निर्णय डीटीडी। 04.04.1996

लिखित याचिका में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय

1990 का No.1691 संदर्भित। -

भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियाँ और जातियाँ

आर. वी. रसेल और राय बहादुर हीरालाल किस पुस्तक में खंड III में-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 5 पूरक। एससीआर 65

पीछा किया।

पैरा 12

[1965] एससीआर 316

पीछा किया।

पैरा 21

[1965] एससीआर 877

पीछा किया।

पैरा 47

[1990] एससीआर 576

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

उस पर भरोसा करें

[1993] 3 पूरक। एससीआर 872

पैरा 51

[1994] 3 पूरक। एससीआर 50

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[1996] 2 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 53

[2006] 2 एससीआर 1142

लागू नहीं होता है

पैरा 89 महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4096

2020 से।

बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.08.2018 से लिखित याचिका संख्या 1742

2007 .

के साथ

2020 की सिविल अपील No.4098-4100,4097,4101।

संजय जैन, ए. एस. जी., श्याम दीवान, सी. यू. सिंह, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सिद्धेश्वर एन. बिरादर, विनायक भंडारी, सुश्री साक्षी अजीत काले, रवींद्र केशवराव अदसुरे, यश प्रशांत सोनावने, जयप्रकाश

बाबासाहेब चव्हाण, सुश्री संगीता सागर पहुने पाटिल, मोहन सुदामे, सुश्री संगीता गुप्ता, अमजिद मकबूल, मनीष कुमार गुप्ता, मोहम्मद अखिल, सुश्री संसृति पाठक, राज बहादुर, अमरीश कुमार, राम परसोदकर, शकुल आर. घाटोले, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा,

सुश्री आस्था शर्मा, अभय अंतुरकर, सुश्री आगम कौर, अभिकल्प प्रताप सिंह, सुश्री बांसुरी स्वराज, सिद्धेश कोतवाल, दिव्यांश तिवारी, सुश्री एना उपाध्याय, निर्निमेश दुबे, सचिन पाटिल, गगन सांघी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सुधांशु एस. चौधरी, कुणाल चीमा, सुश्री रुचिता कुणाल चीमा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के दिनांकित सामान्य निर्णय के खिलाफ दायर ये अपीलें संविधान में शामिल महाराष्ट्र राज्य में "गोंड गोवारी" नामक अनुसूचित जनजाति से संबंधित मौलिक महत्व के मुद्दों को उठाती हैं। (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में लागू है।

3. बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से चार रिट याचिकाओं की अनुमति दी, जिनमें 2007 की रिट याचिका संख्या 1742, रिट याचिका शामिल हैं। 2008 का No.4779,2009 का लेखन याचिका संख्या 4032 और 2012 का लेखन याचिका No.1680। हम उपरोक्त रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ताओं के दावे को संक्षेप में देख सकते हैं।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2007 की लेखन याचिका No.1742-केशव विश्वनाथ सुनोन

बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

4. केशव विश्वनाथ सुनोन (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

" सुनोन ") ने खुद को गोवारी जाति से संबंधित होने का दावा किया। रिट याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि सुनोन गोवारी जाति से है, जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है क्योंकि कोई गोंड गोवारी जाति मौजूद नहीं है। सुनोन को 29.08.1983 पर तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। गोंड गोवारी अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र सुनोन को 03.07.1986 पर जारी किया गया था। सुनोन का जाति प्रमाण पत्र जाति के सत्यापन के लिए भेजा गया था। जाति जांच समिति ने अपने दिनांकित 13.01.2007 के आदेश के माध्यम से सुनोन के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया। जाति जांच समिति के दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देते हुए, निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ रिट याचिका दायर की गई थीः

" क) उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिससे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, अमरावती प्रभाग, अमरावती द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया जाए और रद्द कर दिया जाए।

13.1.2007 ;

ख) इस याचिका के लंबित रहने के दौरान और याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, अमरावती मंडल, अमरावती द्वारा पारित दिनांक 13.1.2007 के विवादित आदेश पर रोक और प्रभाव और संचालन;

ग) जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझता है, कोई अन्य राहत प्रदान करें।

2008 की लिखित याचिका No.4779-आदिवासी गोंड गोवारी

एसोसिएशन ने प्रतिवादी Nos.4 को अनुसूचित जनजाति (गोंड गोवारी) के रूप में 19 को जारी किए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का मामला था कि बिना जांच किए जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का मामला आगे था कि गोंड गोवारी अनुसूचित जनजाति के रूप में जारी वैधता प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी किया गया था क्योंकि प्रतिवादी गोवारी समुदाय से थे और वे गोंड गोवारी समुदाय से संबंधित नहीं थे।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

6. रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी Nos.4 को 19 को जारी किए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया है। ए. आगे

जाति जांच समिति, नागपुर को गोंड गोवारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई थी और

विस्तृत पूछताछ की जाए। यह भी प्रार्थना की गई कि आयुक्त, जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे और जाति जांच समिति नागपुर को गोवारी और गोंड गोवारी प्रविष्टियों के संबंध में पूर्ण जांच करने का निर्देश दिया जाए।

2009 की रिट याचिका No.4032-आदिम गोवारी समाज विकास मंडल और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्न। 7. 2004 में पंजीकृत याचिकाकर्ता संघ ने लोगों की बेहतरी और कल्याण के क्षेत्र में काम करने का दावा किया

गोवारी समुदाय से संबंधित। रिट याचिका में, सरकारी प्रस्ताव दिनांक 1 का संदर्भ दिया गया था, जिसके तहत सरकार ने जनजाति प्रमाण पत्र जारी करते समय एहतियाती उपाय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। सरकारी प्रस्ताव के साथ, एक चार्ट जारी किया गया था जिसमें एक तुलनात्मक अध्ययन था, जो वास्तविक सदस्यों से संबंधित था।

समान नामकरण वाली अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य जातियाँ। रिट याचिका में एक बाद के सरकारी प्रस्ताव दिनांक 1 का विस्तृत संदर्भ है जिसमें महाराष्ट्र राज्य के सरकारी प्रस्ताव के तहत गोवारी को 2 प्रतिशत आरक्षण के साथ अन्य पिछड़ा समुदाय, विशेष पिछड़ा वर्ग माना गया था। रिट याचिका में, गोवारी का दावा करने के लिए आत्मीयता परीक्षण के माध्यम से दिशानिर्देशों को निर्धारित करने वाले सरकारी प्रस्ताव की वैधता 24.06.1985

समुदाय को चुनौती दी गई।

2012 की रिट याचिका No.1680-आदिवासी गोंड गोवारी

8. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.06.2011 द्वारा, गोवारी समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सामान्य केंद्रीय सूची से श्रेणी।

रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गोवारी समुदाय और उसके सदस्यों को महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति आदेश की प्रविष्टि No.18 में शामिल किया गया है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट को व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी

अनुसूचित जनजाति के रूप में गोवारी समुदाय से संबंधित। रिट याचिकाकर्ता ने सरकारी प्रस्तावों दिनांकित 24.04.1985,13.06.1995 और 15.06.1995 को भी चुनौती दी है। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई थीं बनाया गयाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" (क) अनिवार्यता की प्रकृति में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिससे गोवारी समुदाय के संबंध में असंवैधानिक के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित राजपत्र अधिसूचना (अनुलग्नक संख्या 9) को रद्द कर दिया जाए और गोवारी समुदाय के प्रवेश को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की सामान्य केंद्रीय सूची से हटा दिया जाए।

महाराष्ट्र राज्य;

(ख) उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करके गोंड के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1976 के पैरा 19 की प्रविष्टि 18 से अनामोली को हटा दें।

गोवारी समुदाय;

(ग) उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करके घोषणा करें कि गोवारी समुदाय और उसके सदस्यों को अनुसूचित जातियों के पैरा 19 की प्रविष्टि 18 में शामिल किया गया है और

अनुसूचित जनजाति आदेश, 1976;

(घ) प्रकृति में उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करके राज्य सरकार को निर्देश दें और पूरे राज्य में उप-मंडल कार्यालयों, मजिस्ट्रेटों को गोवारी से संबंधित लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दें।

समुदाय अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोग हैं और आगे जाति जाँच समिति को वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देते हैं

गोवारी समुदाय के लोग जो अनुसूचित जनजाति हैं;

(ई) अनिवार्य प्रकृति में उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिससे सरकार को रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए। संकल्प, डी. टी. 24.4.1985 , 13.6.1995 , & 15.6.1995 अवैध होने पर

अनुलग्नक सं। 10 , 11 & . 12 ;

(च) कोई अन्य राहत प्रदान करें जिसे उचित और उचित समझा जा सके।

मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

9. डिवीजन बेंच ने अपने विवादित फैसले की तारीख देखी

. 2018 निम्नलिखित आदेश द्वारा रिट याचिकाओं की अनुमति दी गईः

" आदेश

मराठा देश सी. पी. और बरार या मध्य राज्य में 1956 से पहले का प्रदेश।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव ईश्वरनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

(2) हम मानते हैं और घोषणा करते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि संख्या 18 में 28 वीं मद के रूप में गोंड गोवारी के रूप में कोई जनजाति मौजूद नहीं थी और यह गोवारी थी।

इसमें अकेले समुदाय को गोंड गोवारी के रूप में दिखाया गया है।

(3) उक्त आदेश की प्रविष्टि संख्या 18 में 28 वीं वस्तु के रूप में दिखाई गई गोंड गोवारी जनजाति गोंड की उप-जनजाति नहीं है और इसलिए, इसकी वैधता के दावे का परीक्षण सरकारी प्रस्ताव में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के संबंध में दिशानिर्देशों के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

दिनांकित 24-4-1985।

(4) राज्य में गोवारी समुदाय के लोग

महाराष्ट्र को अनुसूचित जनजातियों के लाभों से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि गोवारी समुदाय को महाराष्ट्र राज्य के संबंध में दिनांकित सरकारी प्रस्तावों 13-6-1995 और 15-6-1995 में विशेष पिछड़े वर्गों की सूची में और भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सामान्य केंद्रीय सूची में जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 16-6-2011 में अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के रूप में दिखाया गया है।

इस न्यायालय के निर्णय का प्रकाश। (6) हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वे इन याचिकाओं के उद्देश्यों के लिए बुलाए गए जनगणना रिपोर्ट, संसदीय बहस, राजपत्रकारों आदि के पूरे पुराने रिकॉर्ड को पुस्तकालय से स्कैन करके प्राप्त करें।

छह सप्ताह की अवधि, जैसा कि यह खराब हो गया है। अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भी उपलब्ध नहीं है।

'नेट' पर।

10. डिवीजन बेंच के फैसले से व्यथित, राज्य

राष्ट्र ने एसएलपी (सी) संख्या 15044 और एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न सिविल अपील दायर की है। 15045-15047 2020 से। भारत संघ के पास 2020 की डायरी संख्या 17886 के साथ-साथ एक कलाल भैसाकु मंगर से उत्पन्न सिविल अपील भी है, जो इस न्यायालय में आदिवासी गोंड गोवारी (गोवारी) सेवा मंडल के नेतृत्व में 2019 की एसएलपी (सी) No.7901 द्वारा दायर 2008 की रिट याचिका 779 में प्रतिवादी था।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. हमने श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री रवींद्र केशवराव अदसुरे, अपीलार्थी के विद्वान वकील, महाराष्ट्र राज्य को सुना है। श्री संजय जैन, अपीलार्थी, भारत संघ के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री सी. यू. सिंह, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-जनकलाल भैसाकु मंगर। प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी पेश हुए। हमने उत्तरदाताओं की विद्वान वकील सुश्री बांसुरी स्वराज और अन्य विद्वान वकीलों को भी सुना है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रविष्टियों के साथ छेड़छाड़ करने में त्रुटि की है

(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 मौजूद है और स्पष्ट रूप से जाति 'गोवारी' से अलग है। उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि जनजाति 'गोंड गोवारी' एक विलुप्त जनजाति है जो 1911 के बाद से अस्तित्व में नहीं है। प्रविष्टि 'गोंड गोवारी' को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में बनाए रखा जा रहा है और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए कई संसदीय अधिनियम पारित किए जाने के बाद भी इसे हटाया नहीं गया था। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अनुसूचित जनजाति 'गोंड' गोवारी 'अस्तित्व में नहीं है जब जाति को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल किया गया था।

14. श्री दीवान ने वह मानवशास्त्रीय विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत की जो

उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'गोंड 'गोवारी' एक अनुसूचित जनजाति है जो 'गोवारी' से अलग है। 'गोवारी' जाति का 'यादव' और 'अहिर' के साथ घनिष्ठ संबंध है जबकि 'गोंड गोवारी' का 'गोंड' के साथ घनिष्ठ संबंध है। दोनों अपनी संस्कृति और महाराष्ट्र और ए. एन. आर. के राज्य में अलग हैं।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

रीति-रिवाज। श्री दीवान ने "महाराष्ट्र के गोवारी समुदाय के सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन" पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई द्वारा दिनांक 29.12.2020 पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है। वह.

प्रस्तुत करता है कि क्षेत्र सहित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद रिपोर्ट में

विभिन्न स्थानों पर शोध दल द्वारा की गई यात्राओं में दो समुदायों, 'गोंड गोवारी' और 'गोवारी' को रीति-रिवाजों, पूजा और व्यवहार में अलग पाया गया था।

उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके संसदीय अधिनियम और 'गोवारियों' ने अपने सभी प्रयासों में विफल होने के बाद, घोषणा की मांग के लिए रिट याचिकाएं दायर की हैं जिन्हें अदालत द्वारा मंजूर नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य में प्रवेश किया कि जनजाति 'गोंड गोवारी' 1911 से पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी, जिसका अभ्यास रिट याचिकाओं में नहीं किया जा सकता था। अभिलेखों पर अन्य सामग्री हैं जो स्पष्ट रूप से 1956 से पहले और बाद में 'गोंड गोवारी' की उपस्थिति को साबित करती हैं और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि जनजाति 'गोंड गोवारी' 1911 से पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी।

15. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'गोवारी' को राज्य सरकार द्वारा दिनांकित प्रस्तावों द्वारा पहले ही विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित किया जा चुका है

13.06.1995 और 15.06.1995 और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.06.2011 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में भी शामिल किया गया। प्रस्ताव का लाभ पहले ही 'गोवारी' द्वारा लिया जा चुका है और यह तथ्य कि उन्हें महाराष्ट्र राज्य द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है और

भारत सरकार क्रमशः इस तथ्य का संकेत देती है कि वे अनुसूचित जनजाति नहीं हैं बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं।

16. श्री श्याम दीवान ने नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांक 04.04.1996 पर भी भरोसा किया है।

1990 की रिट याचिका No.1691 में दिया गया-आदिवासी गोवारी समाज संगठन, महाराष्ट्र और अन्न। बनाम भारत संघ और अन्य। , जहाँ 'गोवारी' समुदाय द्वारा अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा करने वाले एक रिट याचिकाकर्ता को डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया था

मुख्य जनजाति 'गोंड' के साथ रिट याचिकाकर्ता की आत्मीयता की जांच करने में प्राधिकरण। श्री दीवान प्रस्तुत करते हैं कि गोवारी के दावे को खारिज करने वाला एक खंड पीठ का फैसला होने के नाते, जो कि समन्वय पीठ का फैसला था, उच्च न्यायालय विवादित फैसले में इसके विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले सकता था।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. श्री संजय जैन, भारत संघ द्वारा दायर अपील के समर्थन में विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि उच्च न्यायालय

यह समझने में विफल रहा कि किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची जिसे राज्य के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित किया जाता है, उसे केवल संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। राज्य सरकार के साथ परामर्श। उच्च न्यायालय ने विवादित मामले में

निर्णय ने संसद की राय के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित किया है जो कानून में अनुज्ञेय नहीं है।

18. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि 'गोंड गोवारी'

विलुप्त हो जाते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अनदेखी की है

संसदीय समिति की कार्यवाही और इस विषय पर अध्ययन। श्री सी. यू. सिंह ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों के उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख किया (संशोधन) विधेयक, 1976 "प्रस्तुत करता है कि केवल उन समुदायों को बाहर रखा गया था जो 1961 और 1971 की जनगणना के विवरण में किसी राज्य में नहीं पाए गए थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि 'गोंड गोवारी' को बरकरार रखा गया था और संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बाहर नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसद 'गोंड गोवारी' के अस्तित्व से संतुष्ट थी। श्री सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 338 ए का भी उल्लेख किया, जिसे संविधान (अस्सी-नौवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए अधिकृत, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ के बिना, यह रिट याचिकाकर्ताओं के लिए अनुसूचित जनजातियों के दर्जे का दावा करने के लिए एक रिट याचिका दायर करने के लिए खुला नहीं था। श्री सी. यू. सिंह ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में कोई विशिष्ट याचिका नहीं थी कि गोंड गोवारी विलुप्त हो गया था। 19. श्री श्याम दीवान की दलीलों को स्वीकार करते हुए विद्वान वकील श्री रवींद्र केशवराव अदसुरे ने प्रस्तुत किया कि 'गोवारी' ने अनुसूचित जनजातियों के लाभ प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए थे और वे अपने सभी प्रयासों में विफल रहने के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में अपनी स्थिति के बारे में अदालत से घोषणा प्राप्त करने के लिए रिट याचिकाएं दायर की हैं जो कानून में अनुमत नहीं है।

20. उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने वाले प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी का कहना है कि

उच्च न्यायालय के लिए महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य के सही अर्थ और विषय-वस्तु का पता लगाने के लिए खुला था।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल 'गोंड गोवारी' की प्रविष्टि। वे प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक 'गोवारी' को विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग घोषित करने वाले सरकारी प्रस्तावों का संबंध है, उक्त प्रस्तावों और अधिसूचनाओं को रिट द्वारा चुनौती दी गई थी

याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिकाओं में। वे कभी भी विशेष पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग का लाभ नहीं चाहते थे। उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति 'गोवारी' के लाभ को सही ढंग से बहाल कर दिया है, जिसके वे कानूनी रूप से हकदार थे। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने किसी मुद्दे में प्रवेश करने और यह निष्कर्ष वापस करने में गलती नहीं की कि 'गोंड गोवारी' 1911 से पहले विलुप्त हो गया था। 1911 से पहले जब 'गोंड गोवारी' विलुप्त हो गया था, तो यह 'गोवारी' थे जो प्रविष्टि 18 में अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने के हकदार थे। उच्च न्यायालय के लिए यह पता लगाने की पूरी अनुमति थी कि 'गोंड गोवारी' नामक कोई जनजाति मौजूद है या नहीं और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के हकदार सच्चे 'गोंड गोवारी' कौन हैं।

21. श्री रोहतगी ने कहा कि 'गोंड गोवारी' 1911 में गोंड और गोवारी के गठबंधन द्वारा बनाई गई एक छोटी संकर जाति थी।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के मामले में, राज्य अचानक यू-टर्न नहीं ले सकता है और गोवारी के अनुसूचित जनजाति होने के दावे को अस्वीकार करना शुरू नहीं कर सकता है। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णय में विचार की गई कई सामग्रियों का उल्लेख किया है कि गोंड गोवारी जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा की गई कवायद बी. बसावलिंगप्पा बनाम में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप है। डी. म्यूनिचिन्नाप्पा और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269। वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोंड गोवारी के 1911 से पहले विलुप्त होने के दावे को स्वीकार किया गया था या विवादित, भले ही यह विवादित हो, उच्च न्यायालय को [2020] 11 एस. सी. आर. को स्पष्ट करने के लिए सच्चाई का पता लगाना पड़ा।

अभिलेख पर साक्ष्य को देखने के बाद भ्रम। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने जनगणना रिपोर्ट का उल्लेख किया है और सही पाया है कि 1911 के बाद की जनगणना में यह माना गया कि केवल गोवारी ही उपस्थित पाए गए थे। गोंड गोवारी का अधिशेष होने के कारण गोंड गोवारी के स्थान पर गोवारी का दावा किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह गोवारी ही थे जो 1911 के बाद जनगणना में उपस्थित पाए गए थे और यह गोवारी ही थे जो अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने के हकदार थे और गोवारी गोंड की उप-जाति नहीं होने के कारण उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं थी

गोंड के साथ कोई संबंध और महाराष्ट्र राज्य का दिनांकित 24.04.1985 प्रस्ताव जिसमें संबंध साबित करने की आवश्यकता होती है, कानून के अनुसार नहीं था। श्री रोहतगी प्रस्तुत करते हैं कि यह वास्तव में गोवारी है जिसे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया गया है। वह प्रस्तुत करता है कि कोई नहीं है गोंड गोवारी के प्रतिस्पर्धी दावे, गोंड गोवारी की कोई जनजाति अब तक अस्तित्व में नहीं है।

22. श्री रोहतगी ने आगे महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य में संविधान पीठ के उस अनुपात को प्रस्तुत किया। के साथ सहमत नहीं है

बी. बासवलिंगप्पा में पूर्ववर्ती संविधान पीठ का अनुपात। वहाँ है। दो संविधान पीठों के अनुपात के बीच संघर्ष, विवाद को हल करने के लिए मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। श्री रोहतगी अंत में प्रस्तुत करते हैं कि डिवीजन बेंच दिनांक 1 के फैसले के बाद, अनुसूचित जनजातियों के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिसके आधार पर गोवारी समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रवेश/रोजगार किया गया है, जिसके लाभ को इस न्यायालय द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है।

23. उत्तरदाताओं की ओर से सुश्री बांसुरी स्वराज ने प्रस्तुत किया कि गोंड गोवारी समुदाय अल्पकालिक था और यह 1911 की जनगणना से पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि संख्या 18 में इसके शामिल होने की तिथि के अनुसार 'गोंड गोवारी' नामक कोई जनजाति मौजूद नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

(संशोधन) विधेयक, 1956। हालाँकि संशोधन गोंड के साथ गोवारी के रूप में किया जाना था, लेकिन गलती से किया गया था गोंड गोवारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 1965 में महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य के मुख्यमंत्री थे।

यह रुख अपनाते हुए कि गोवारी को अनुसूचित जनजातियों में अलग प्रवेश के रूप में शामिल किया जाए, गोवारी समुदाय में एक वैध अपेक्षा है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, राज्य के राजस्व मंत्री ने एक बयान दिया है कि उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाएगा जिसे बाद में बदल दिया गया है। 24. पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखा है जिन्हें इस अवधि के लिए संदर्भित किया जाएगा।

प्रस्तुतियों पर विस्तार से विचार करें।

25. इससे पहले कि हम पक्षों के लिए विद्वान वकील की संबंधित प्रस्तुतियों में प्रवेश करें, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 और अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। 26. संविधान का भाग XVI "कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों" से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 342. अनुसूचित जनजाति (1) राष्ट्रपति इस संबंध में

संविधान को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, जैसा भी मामला हो (2)
संसद कानून द्वारा निम्नलिखित सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है -

खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियाँ, कोई भी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर या समूह का हिस्सा हैं, लेकिन उपरोक्त के अलावा, उक्त खंड के तहत जारी अधिसूचना में किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

" 366. परिभाषाएँ। ▬▬ इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ हैं
एतद्वारा क्रमशः उन्हें सौंपा गया है, अर्थात

(25) " अनुसूचित जनजातियों का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भाग या समूह जो -

अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माने जाते हैं

इस संविधान के उद्देश्य;

XXXXXXXXXXXX "

28. अनुच्छेद 342 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 दिनांक 06.09.1950 जारी किया था। आदेश के पैराग्राफ 2 और 3 में कहा गया हैः

" 2. जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय, या कुछ भाग, या समूह

इस आदेश की अनुसूची के भाग I से XIV में निर्दिष्ट जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर, उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः संबंधित हैं, माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति होना

जहाँ तक स्थानीय निवासियों के सदस्यों का संबंध है

उनके संबंध में उस अनुसूची के उन भागों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

3. इस आदेश की अनुसूची में किसी जिले के लिए कोई संदर्भ

या किसी राज्य के अन्य क्षेत्रीय विभाजन का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा -

उस जिले या अन्य क्षेत्रीय विभाजन का संदर्भ, जैसा कि इस पर मौजूद है

26 जनवरी, 1950 "।

29. अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों का विवरण शामिल है

विभिन्न राज्यों का संदर्भ। अनुसूची का भाग III बॉम्बे राज्य से संबंधित है और भाग III की प्रविष्टि संख्या 9 का उल्लेख किया गया है " 9. गोंड "। भाग IV मध्य प्रदेश से संबंधित है जहाँ प्रविष्टि No.12 में भी "गोंड" का उल्लेख है।

[जिसमें मडिया (मारिया) और मुडिया (मुरिया) शामिल हैं। संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश नामक एक अधिनियम पारित किया

(संशोधन) अधिनियम, 1956 में समावेशन और अपवर्जन का प्रावधान कुछ जातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों और उनसे जुड़े मामलों से। धारा 4 के अनुसार

अधिनियम, 1956, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को अनुसूची III में निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक संशोधित किया गया था। अनुसूची III में, प्रविष्टि संख्या 9 को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया थाः

" 9. गोंड या राजगोंड "।

30. भाग IV जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, प्रविष्टि 12 थी

निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गयाः

" 12 महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य सहित गोंड। वी. केशाओ

62

ईश्वरनाथ सोन और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

अरख या अरख

ए.

अगरिया

असुर

बड़ी मारिया या बड़ी मारिया

बी.

भूटा, कोइलाभूत या कोइलाभूति भार

सी.

दंडमी मारिया धुरु या धुर्वा

डी.

धोबा

धूलिया

डोरला

गाइकी

ई.

गट्टा या गट्टी

गोंड गोवारी हिल मारिया

एफ.

कांद्रा कलंगा

खटोला

कोइटार

जी.

कोया

खिरवार या खिरवाड़ा कुचा मारिया

कुचाकी मारिया

मडिया (मारिया)

माना। तरीका

मोग्या या मोगिया या मांग्या

मुडिया (मुरिया)

नगरची नागवंशी

राज सोनझड़ी

झरेका

थतिया या थोतिया

वेड मारिया या वाडे मारिया "

31. यह ध्यान देने योग्य है कि मध्य प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों में संशोधन सिफारिशों के परिणामस्वरूप किया गया था

पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट द्वारा जिसे कालेलकर आयोग के रूप में भी जाना जाता है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में प्रकाशित अनुसूचित जनजातियों की सूची के संबंध में मध्य प्रदेश के संबंध में पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ रिपोर्ट के खंड II में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि संख्या 12 गोंड (मडिया (मारिया) और मुडिया (मुरिया) सहित) के संबंध में थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने गोंड के साथ गोंड की कई उप-जनजातियों को जोड़ने का सुझाव दिया। कॉलम नं. तालिका के छठे भाग में "समावेश के लिए आयोग की सिफारिश" शीर्षक है। कॉलम संख्या 6 में वस्तु No.10 का प्रभाव निम्नलिखित हैः

" 10. गोंड की उप-जनजातियाँः (गोंड के साथ जोड़ा जाना) अरख या अरख अगरिया

असुर

भटोला

भीममा भूत या

केलियाबूत या कोईलभूति-महाराष्ट्र और ए. एन. आर. का राज्य।

वी. केशाओ

62

ईश्वरनाथ सोन और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

भार

ए.

धोबा धूलिया

बी.

गट्टा या गट्टी

गाइकी गंडा या गंडी

सी.

गोवारी

खटोला कोइटार

डी.

कोया

खिरवार या खिरवाड़ा मोग्या या मोगिया या मोंघ्या

नगरची

ई.

राज नागवंशी

एफ.

शैली युद्ध डोरला

माना।

कांद्रा

जी.

बाइसन हॉर्न मिरिया हिल मारिया

बडी मारिया या बड़ा मारिया, छोटा मारिया, दंडमी मारिया

32. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा अधिनियमित किया गया था

संसद भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उनसे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करेगी। धारा 8 में एक नए बॉम्बे राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। धारा 8 (1) (सी) के आधार पर निम्नलिखित जिलों को, जो उस समय मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद थे, नए अधिनियम में शामिल किया गया था।

बम्बई राज्य, जिसका प्रभाव निम्नलिखित हैः

" 8. एक नए बॉम्बे राज्य का गठन। - (1) जिस तरह से

नियत दिन, एक नए राज्य का गठन किया जाएगा जिसे बॉम्बे राज्य के रूप में जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, अर्थात्ः

XXXXXXXXXXX

(ग) वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में बुलढाणा, अकोला, अमरावती, येओतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा जिले;

XXXXXXXXX "

33. उपरोक्त जिले पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 41 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

भाग 2 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय परिवर्तनों और नए राज्यों के गठन के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों का संशोधन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 41 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची

आदेश 1950 के तहत संशोधन दिनांक 29.10.1956 जारी किया गया था। अनुसूची का भाग IV बॉम्बे से संबंधित था। अनुसूची III में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन शामिल है। अनुसूची का भाग IV बॉम्बे से संबंधित था। हालाँकि, प्रवेश संख्या 9 गोंड या राजगोंड के रूप में जारी रही, लेकिन अमरावती, चंदा और येओतमाल जिलों की कुछ तहसीलों के संबंध में, प्रवेश संख्या No.12 गोंड के प्रवेश के साथ निम्नलिखित शामिल थीः

" 7. अमरावती जिले की (1) मेलघाट तहसील में,

(2) चंदा जिले की गढ़चिरौली और सिरोंचा तहसीलें, (3) येओतमाल की केलापुर, वानी और येओतमाल तहसीलें

जिलाः

गोंड, जिनमें शामिल हैंः

ए.

अगरिया असुर

बी.

बड़ी मारिया या बड़ी मारिया भटोला

भीममा भूत, कोइलाभूत या

एस.

कोइलाभूति भार

बाइसनहॉर्न मारिया

छोटा मारिया

डी.

दंडमी मारिया

धुरु या धुर्वा

धोबा

धूलिया

ई.

डोरला

गाइकी

गट्टा या गट्टी गैता

एफ.

गोंड गोवारी

हिल मारिया

कांद्रा

कलंगा

जी.

खटोला

कोइटार कोया "

34. इस प्रकार, हम देखते हैं कि अधिनियम, 1956 के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य के लिए पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद, "गोंड" "गोंड गोवारी" जनजाति को दिनांक 29.10.1956 के संशोधन आदेश द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में जोड़ा गया था। विशिष्ट क्षेत्रों में बॉम्बे राज्य के संबंध में, अनुसूचित के रूप में गोंड के प्रवेश के संबंध में जनजाति, "गोंड गोवारी" सहित कई उप-जनजातियों को जोड़ा गया जैसा कि ऊपर देखा गया है।

35. संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 108) को कुछ जातियों और जनजातियों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने और उन्हें सूची से बाहर करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया, ताकि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन किया जा सके। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण प्रासंगिक हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों के तहत कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूचित जनजाति के रूप में केवल संबंधित राज्य के कुछ क्षेत्रों में और पूरे राज्य के संबंध में नहीं। यह उन क्षेत्रों में इन समुदायों के सदस्यों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है जहाँ उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है। वर्तमान विधेयक आम तौर पर इन क्षेत्र प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास करता है। हालांकि, जिन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर संयुक्त समिति द्वारा विशेष रूप से इस तरह के प्रतिबंधों को जारी रखने की सिफारिश की गई थी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। समिति ने कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर करने की भी सिफारिश की थी और

अनुसूचित जनजातियाँ। ये बहिष्करण वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं और ऐसे समुदायों को वर्तमान में सूचियों में रखा जा रहा है।

क्षेत्र प्रतिबंध। हालाँकि, ऐसे समुदाय जिनके संबंध में संयुक्त समिति ने इस आधार पर बहिष्कार की सिफारिश की थी कि वे किसी राज्य में नहीं पाए गए थे, उन्हें बाहर रखा जा रहा है यदि इन समुदायों के संबंध में कोई विवरणी नहीं थी।

1961 और 1971 की जनगणना।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में प्रस्तावित संशोधनों से महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य में वृद्धि हो सकती है।

वी. केशव ईश्वरनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

इन जातियों और जनजातियों की जनसंख्या और इसके परिणामस्वरूप

लोकसभा और कुछ राज्यों में आरक्षित सीटों की संख्या

विधान सभाएँ। इसलिए प्रावधान किए गए हैं

जनगणना प्राधिकरण को पुनः अनुमान लगाने के लिए सशक्त बनाने के लिए विधेयक

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और निर्वाचन आयोग को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से आवंटित करना।

36. अधिनियम, 1976 की दूसरी अनुसूची में प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 का प्रावधान है जैसा कि उसमें दर्शाया गया है। महाराष्ट्र राज्य, जिसका गठन किया गया था, के भाग IX के साथ, प्रविष्टि No.18 अनुसूचित जनजाति "गोंड" से संबंधित है, जो है -

प्रस्फुटन प्रभावः

" 18. गोंड राजगोंड, अरख, अरख, अगरिया, असुर, बडी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भूटा, कोइलाभूटा, कोइलाभूती, भर, बाइसनहॉर्न मारिया। छोटा मारिया, दंडमी मारिया, धुर्वा, धोबा, धूलिया, डोरला, गाइकी, गट्टा, गट्टी, गैता, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कांद्रा, कलंगा, खताला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवाड़ा, कुचा मारिया, कुचकी मारिया, मडिया, मारिया, माना, मानेवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगरची, नाइकपोड, नागवंशी, ओझा, राज, सोनझरी झरेका, थतिया, थोत्या।

वेड मारिया, वाडे मारिया " 37. उपरोक्त के बाद, संसद ने अनुसूचित को पारित किया

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

जिसका प्रभाव निम्नलिखित हैः

" अनुसूचित जनजातियों, कुछ जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के कुछ हिस्सों या समूहों की सूचियों में शामिल करने के लिए एक अधिनियम, जिनके समतुल्य नाम या पर्यायवाची शब्द

ऐसी जनजातियाँ या समुदाय, क्षेत्र प्रतिबंधों को हटाना और

प्रविष्टियों का विभाजन और संयोजन; आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात राज्यों के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूचियों में कुछ जातियों के संबंध में क्षेत्र प्रतिबंध लगाना और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों से कुछ जातियों और जनजातियों को बाहर करना।

हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश

प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिल

तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल "।

38. एकमात्र संशोधन जो इसके संबंध में किया गया था

प्रविष्टि 18 में महाराष्ट्र से संबंधित युगल निम्नलिखित थाः

सीटीः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ((i) भाग IX में-महाराष्ट्र

((i) प्रविष्टि 12 को हटा दें;

((ii) प्रविष्टि 18 में "गोंड राजगोंड" के स्थान पर "गोंड, राजगोंड"; (iii) प्रविष्टि 45 को हटा दें; "

39. अनुसूचित जाति आदेश में उपरोक्त संशोधन इंगित करता है कि अनुसूचित जाति प्रविष्टियों का वर्णन करने में विधायिका द्वारा क्या लिया गया था। "गोंड" की पूर्व प्रविष्टि No.18 में उपरोक्त संशोधन द्वारा, प्रतिस्थापन किया गया था जिसके द्वारा अब इसे "गोंड" के रूप में पढ़ा जाता है।

एन. डी. "

40. पक्षों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों से और

अभिलेख पर निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उठते हैं: -

क्या उच्च न्यायालय रिट याचिका में जन्म दे रहा है

1)

इन अपीलों में जाति "गोवारी" के दावे पर विचार किया जा सकता था, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है, कि इसे "गोंड गोवारी" के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए, जो महाराष्ट्र राज्य में लागू संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की मद No.18 में शामिल है और इस तरह के दावे पर निर्णय लेने के लिए सबूत लेने के लिए आगे?

क्या संविधान के निर्णय का अनुपात

2)

बी. बसावलिंगप्पा बनाम डी. मामले में इस न्यायालय की पीठ।

बी. बसावलिंगप्पा में संविधान पीठ और महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद, (2001) 1 एस. सी. सी. 4 में इस न्यायालय के बाद के संविधान पीठ के फैसले?

3)

क्या उच्च न्यायालय इसमें प्रवेश कर सकता था

इस मुद्दे का निर्णय कि 'गोंड गोवारी' जो एक है अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में उल्लिखित अनुसूचित जनजाति, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है, अस्तित्व में नहीं है और

1911 से पहले विलुप्त हो गया था?

क्या विवादित मामले में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष

4)

यह निर्णय कि 'गोंड गोवारी' जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी, उन सामग्रियों पर समर्थित है जो पहले रिकॉर्ड में थीं।

उच्च न्यायालय?

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

5)

क्या जाति 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' के समान है संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की मद No.28, प्रविष्टि 18 में और उच्च न्यायालय जाति 'गोवारी' को 'गोंड गोवारी' के रूप में घोषित कर सकता था।

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र?

6)

क्या उच्च न्यायालय का यह विचार सही है कि 'गोंड' प्रविष्टि 18 में 'गोवारी' को वस्तु No.28 के रूप में दिखाया गया है।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 गोंड की उप-जनजाति नहीं है, इसलिए इसकी वैधता का परीक्षण सरकारी प्रस्ताव में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

दिनांकित 24.04.1985?

प्रश्न संख्या। 1 और 2

41. भारत के संविधान में पर्याप्त प्रावधान हैं -

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की संवैधानिक आकांक्षाओं को पूरा करना। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 और भाग XIV में विशेष प्रावधानों के रूप में कई प्रावधान हैं -

कुछ वर्ग। संविधान के अनुच्छेद 342 में सार्वजनिक अधिसूचना की परिकल्पना की गई है जिसमें जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट किया गया है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। उसके राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद। उपखंड (2) में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान है कि इसमें से कोई भी समावेशन या बहिष्करण

अनुच्छेद 342 के खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची केवल संसद द्वारा कानून द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार, अनुच्छेद 342 के उपखंड (2) में एक प्रावधान है जो केवल संसद को अनुच्छेद 342 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट सूची में अनुसूचित जनजाति को शामिल करने और बाहर करने का अधिकार प्रदान करता है। इस न्यायालय के कई निर्णय हुए हैं जिनमें अनुच्छेद 341 और 342 पर संविधान पीठ भी शामिल हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में प्रविष्टियाँ। इस न्यायालय के पास इस बात पर विचार करने का अवसर था कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय सहित न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदेशों में प्रविष्टियों की व्याख्या किस हद तक कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने B.Basavalingappa बनाम डी. म्यूनिचिन्नाप्पा और अन्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। , ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269।

42. हम सबसे पहले उपरोक्त निर्णय को देख सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई थी कि [2020] 11 एस. सी. आर.

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में उल्लिखित किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता था। प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वह आदेश में भोवी के रूप में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति से संबंधित है। अपीलार्थी का मामला यह था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 जाति से वोद्दार था, जो अनुसूचित जाति नहीं थी। चुनाव न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अनुसूचित जाति आदेश में भोवी के रूप में उल्लिखित जाति वोद्दारों के बीच एक उप-जाति थी और पूरी वोद्दार जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल नहीं किया गया था, प्रतिवादी संख्या 1 अपात्र था। चुनाव को रद्द कर दिया गया था। अपील पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि वोद्दार जाति को आदेश में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उस समय मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जब 1950 में आदेश पारित किया गया था, तो उसमें उल्लिखित भोवी जाति वोद्दार जाति के अलावा और कोई नहीं थी। उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, जिसके खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति वांचू के माध्यम से बोलते हुए कहा कि वह यह दिखाने के लिए सबूत पेश करके आदेश में कोई संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है कि हालांकि इसमें केवल जाति ए का उल्लेख किया गया है।

आदेश, जाति बी भी जाति ए का एक हिस्सा है। निर्णय का अनुपात निर्णय के पैराग्राफ 6 से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" 6. यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करके आदेश में कोई संशोधन करने के लिए खुला नहीं है।

उदाहरण के लिए) कि हालांकि आदेश में केवल जाति ए का उल्लेख किया गया है,

जाति बी भी जाति ए का एक हिस्सा है और इसलिए इसे जाति ए में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जहां भी एक जाति का दूसरा नाम है, उसके बाद क्रम में कोष्ठक में इसका उल्लेख किया गया है। इसलिए, आम तौर पर यह किसी भी व्यक्ति के लिए यह स्थापित करने के लिए सबूत देने के लिए खुला नहीं होगा कि जाति बी (ऊपर उद्धृत उदाहरण में) आदेश में अधिसूचित जाति ए का हिस्सा है। आम तौर पर इसलिए वर्तमान मामले में यह सबूत देने के लिए खुला नहीं होता कि वोद्दार जाति वही थी जो वोद्दार जाति के आदेश में निर्दिष्ट भोवी जाति का बाद में कोष्ठक में उल्लेख नहीं किया गया है।

क्रम में भोवी जाति "।

43. पैराग्राफ 6 में उपरोक्त पूर्वसर्ग को ध्यान में रखने के बाद, इस न्यायालय ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों पर ध्यान दिया जहां मैसूर में

राज्य जैसा कि 1956 के पुनर्गठन से पहले था, वहाँ कोई भी जाति नहीं थी जिसे भोवी के नाम से जाना जाता था। हालाँकि, इस न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि "यदि महाराष्ट्र और ए. एन. आर. का राज्य है।

भोवी जाति में शामिल किया गया था "। उपरोक्त मामले में, हालांकि, इस न्यायालय ने आगे कहा कि जब निर्विवाद तथ्य यह है कि कोई जाति नहीं थी मैसूर राज्य में विशेष रूप से भोवी के रूप में जाना जाता है और जब किसी को आदेश में उल्लेख मिलता है, तो यह निर्धारित करना होता है कि कौन सी जाति थी जिसका अर्थ था। फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 7. लेकिन यह हमारी राय में वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में मामले को समाप्त नहीं करता है। मुश्किल में

वर्तमान मामला इस तथ्य से उत्पन्न होता है (जो उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं था) कि मैसूर राज्य में जैसा कि 1956 के पुनर्गठन से पहले था, भोवी के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी। आदेश एक अनुसूचित जाति को संदर्भित करता है जिसे मैसूर राज्य में भोवी के रूप में जाना जाता है जैसा कि 1956 से पहले था और इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ जाति थी जिसे राष्ट्रपति ने क्रम में राजप्रमुख के परामर्श के बाद शामिल करने का इरादा किया था।

कि कोई भी अन्य जाति भोवी जाति में शामिल थी। लेकिन जब निर्विवाद तथ्य यह है कि मैसूर राज्य में 1956 से पहले विशेष रूप से भोवी के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी और आदेश में एक जाति का उल्लेख भोवी के रूप में किया गया है, तो यह निर्धारित करना होगा कि उस शब्द का आदेश में शामिल होने पर कौन सी जाति का अर्थ था। यह विशिष्ट परिस्थिति है, इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए सबूत लेने की आवश्यकता थी कि कौन सी जाति थी जिसका अर्थ आदेश में उपयोग किए गए 'भोवी' शब्द से था, जब मैसूर में किसी भी जाति को विशेष रूप से भोवी के रूप में नहीं जाना जाता था।

1956 के पुनर्गठन से पहले का विवरण।

44. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री रोहतगी ने फैसले के पैराग्राफ 7 पर बहुत अधिक भरोसा किया है और उनके पास [2020] 11 एस. सी. आर. है।

यह तर्क दिया कि इस न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा की गई कवायद को मंजूरी दी कि कौन सी भोवी जाति थी, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में शामिल किया गया था, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा एक साक्ष्य पर सही ढंग से विचार किया गया, जिसे इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। श्री रोहतगी आगे बताते हैं कि हालांकि बी में।

बसावलिंगप्पा के मामले में यह तथ्य कि पुनर्गठन से पहले मैसूर राज्य में कोई जाति नहीं थी, जिसे भोवी के नाम से जाना जाता था, विवादित नहीं था, लेकिन इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह विवादित है या नहीं, जब भी यह मुद्दा उठाया जाता है, जिसका जवाब अदालतों द्वारा साक्ष्यों को देखते हुए दिया जाता है।

45. इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 7 में की गई टिप्पणियाँ

तरीका ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 6 में निर्धारित निर्णय के अनुपात को कम करता है। इस न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की जांच करने की उच्च न्यायालय की कवायद को मंजूरी दी कि कौन सी जाति थी जिसका अर्थ आदेश में "भोवी" शब्द से था, उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में जहां यह तथ्य विवादित नहीं था कि 1956 से पहले मैसूर राज्य में भोवी के रूप में जानी जाने वाली कोई जाति नहीं थी। पैराग्राफ 7 में, इस न्यायालय द्वारा की गई ये निम्नलिखित दो टिप्पणियां पैराग्राफ 6 में निर्धारित अनुपात के साथ पूरी तरह से सहमत हैं, वे हैं:

" 7. .....

. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि

राष्ट्रपति ने क्रम में जाति भोवी को शामिल किया, हालांकि वहाँ था मैसूर राज्य में ऐसी कोई जाति नहीं थी जो 1956 से पहले थी।

अगर कोई जाति होती जिसे भोवी के नाम से जाना जाता

जैसा कि मैसूर राज्य में 1956 से पहले मौजूद था, सबूत

यह साबित करने के लिए नहीं दिया जा सका कि किसी अन्य जाति को शामिल किया गया था

भोवी जाति।

46. वर्तमान मामले में, रिट में प्रतिवादी का मामला

याचिका स्पष्ट थी कि गोंड गोवारी एक ऐसी जाति थी जो 25.09.1956 से पहले से अस्तित्व में थी। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी विवादित फैसले में कहा है कि गोंड गोवारी जाति 1956 से पहले मौजूद नहीं थी, बल्कि उच्च न्यायालय ने माना कि जाति थी लेकिन यह 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। इस प्रकार,

जिन परिस्थितियों में बी. बसावलिंगप्पा के मामले में इस न्यायालय ने साक्ष्य को देखने की मंजूरी दी, वे उस मामले के लिए विशिष्ट थीं और वर्तमान के तथ्यों में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है।

मामला।

47. हम भैय्या में एक और संविधान पीठ के फैसले को देख सकते हैं।

लाल बनाम हरिकिशन सिंह और अन्य। , ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1557, जो बी. बसावलिंगप्पा के मामले, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ए. एन. आर. के फैसले के कुछ महीनों बाद दिया गया था।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

निर्णय के अनुपात को नोट किया और दोहराया कि हालाँकि अपीलकर्ता अनुसूचित जाति आदेश में उल्लिखित अनुसूचित जाति नहीं था, लेकिन वह किसी अन्य जाति से संबंधित था, जो कि अनुसूचित जाति की उप-जाति है, इस पर गौर नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, भैयालाल आरक्षित सीट से चुने गए थे। चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि भैयालाल दोहार जाति के थे और चमार नहीं थे। भैयालाल ने अपने नामांकन में घोषणा की है कि वह चमार अनुसूचित जाति के सदस्य थे। चुनाव न्यायाधिकरण ने निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ पाया और चुनाव को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। भैयालाल ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले पर भी सवाल उठाया। अपीलार्थी का मामला यह था कि वह एक दोहार चमार था, जो चमार अनुसूचित जाति की एक उप-जाति है। इस न्यायालय ने कहा कि इस दावे पर विचार नहीं किया जा सकता कि दोहार जाति चमार जाति की एक उप-जाति है। पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

" 8. संयोगवश, हम यह इंगित कर सकते हैं कि संविधान (अनुसूचित जाति) को देखते हुए वर्तमान कार्यवाही में इस दलील पर विचार नहीं किया जा सकता है कि दोहार जाति चमार जाति की एक उप-जाति है।

जाति) आदेश, 1950। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया है। अनुच्छेद 341 (1) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों के हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी, जैसा भी मामला हो।

उप-अनुच्छेद (2) में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बहिष्कृत कर सकती है।

खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या भाग

किसी भी जाति, जाति या जनजाति के भीतर समूह या समूह, लेकिन उपरोक्त खंड के तहत जारी एक अधिसूचना को छोड़कर किसी भी बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित करने के लिए कि अनुच्छेद 341 के अर्थ के भीतर कोई विशेष जाति अनुसूचित जाति है या नहीं, किसी को उस ओर से राष्ट्रपति द्वारा जारी सार्वजनिक अधिसूचना को देखना होगा। वर्तमान मामले में, अधिसूचना चमार, जाटव या मोची को संदर्भित करती है, और इसलिए, व्यवहार में पक्षकारों के बीच विवाद के सवाल के साथ, चुनाव न्यायाधिकरण जो जांच कर सकता है वह यह है कि अपीलार्थी एक है या नहीं।

चमार, जाटव या मोची। याचिका में कहा गया है कि हालांकि अपीलकर्ता चमार नहीं है, लेकिन वह [2020] 11 एस. सी. आर. के कारण उसी स्थिति का दावा कर सकता है।

यह तथ्य कि वह चमार जाति की एक उप-जाति, दोहार जाति से संबंधित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जांच की अनुमति नहीं होगी

अनुच्छेद 341 में निहित प्रावधान। बी के मामले में। बसालिंगप्पा बनाम। डी. म्यूनिचिन्नाप्पा इस न्यायालय के पास अवसर था

एक समान प्रश्न पर विचार करने के लिए। जो सवाल उठ रहा है

उस मामले में निर्णय यह था कि क्या प्रत्यर्थी 1, हालांकि जाति से वोददार, में उल्लिखित भोवी की अनुसूचित जाति से थे। आदेश, और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त प्रश्न की जांच अनुमेय थी, न्यायालय ने विस्तृत रूप से उन विशेष और असामान्य परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिन्होंने उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में उचित ठहराया कि आदेश के अर्थ के भीतर वोद्दार जाति भोवी जाति के समान थी; अन्यथा सामान्य नियम होगाः

" यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह दिखाने के लिए सबूत पेश करके आदेश में कोई संशोधन करने के लिए खुला नहीं है, उदाहरण के लिए, कि हालांकि आदेश में केवल जाति ए का उल्लेख किया गया है, जाति बी भी जाति ए का एक हिस्सा है और इसलिए, इसे शामिल माना जाना चाहिए।

जाति ए में "।

यह एक और कारण है कि अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका कि दोहार जाति चमार जाति की एक उप-जाति है और इसलिए इसे आदेश में शामिल माना जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

48. भैयालाल के मामले में संविधान पीठ ने बी. बसावलिंगप्पा के मामले के अनुपात को निम्नलिखित शब्दों में दोहरायाः

" यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह दिखाने के लिए सबूत पेश करके आदेश में कोई संशोधन करने के लिए खुला नहीं है, उदाहरण के लिए, कि हालांकि आदेश में केवल जाति ए का उल्लेख किया गया है, जाति बी भी जाति ए का एक हिस्सा है और इसलिए, इसे जाति में शामिल माना जाना चाहिए।

ए "।

49. हम इस न्यायालय के कुछ और निर्णयों को देख सकते हैं जहाँ इस विषय पर कानून को समझाया और दोहराया गया था। श्रीश कुमार में चौधरी बनाम त्रिपुरा राज्य और अन्य। , 1990 मान लीजिए एस. सी. सी. 220, इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 342 पर विचार करने का अवसर था। उपरोक्त मामले में, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रतिनिधि क्षमता में एक आवेदन दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि वह लस्कर समुदाय से है, जिसे हमेशा पूर्ववर्ती त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता रहा है। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। इस न्यायालय ने पहले के दो संविधान-महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.-का उल्लेख किया।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

बी. बसावलिंगप्पा के मामले और भैयालाल के मामले में न्यायपीठ के निर्णय। संविधान पीठ द्वारा बी में की गई टिप्पणियां।

बसावलिंगप्पा का मामला और भैयालाल का मामला पैराग्राफ 8,9 और 10 में निकाला गया था। पैराग्राफ 9 में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भैयालाल के फैसले के उद्धरण का हवाला दिया और पैराग्राफ 11 में यह माना गया कि भैयालाल के मामले के फैसले का अनुपात बी. बसावलिंगप्पा के मामले में संविधान पीठ के पहले के फैसले के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। पैराग्राफ 10 और 11 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है;

" 10. इसी तरह का विवाद एक बार फिर संविधान पीठ के समक्ष आया।

भैयालाल वी. हरिकिशन सिंह, एआईआर 1965 एससी 1557 के साथ

एक चुनाव विवाद में एक अनुसूचित जनजाति का संदर्भ।

गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहाः (एससीआर पीपी। 882

83)

" यह स्पष्ट है कि जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने में, राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से अधिसूचना को जातियों, नस्लों या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों तक सीमित करने के लिए अधिकृत किया गया है, और इसका मतलब यह होना चाहिए कि शैक्षिक और सामाजिक मानदंडों की जांच करने के बाद।

किसी जाति, नस्ल या जनजाति के पिछड़ेपन के कारण राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पूरी जाति, नस्ल या जनजाति नहीं बल्कि उनके भीतर के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इसी तरह, राष्ट्रपति न केवल पूरे राज्य के संबंध में, बल्कि राज्य के उन हिस्सों के संबंध में जातियों, नस्लों या जनजातियों या उनके कुछ हिस्सों को निर्दिष्ट कर सकता है, जहां वह संतुष्ट है कि जाति, जाति या जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच इस तरह के विनिर्देश को उचित ठहराती है। वास्तव में, यह सर्वविदित है कि एक से पहले

अधिसूचना अनुच्छेद 341 (1) के तहत जारी की जाती है, एक विस्तृत जांच

इस जांच के परिणामस्वरूप जातियों, नस्लों या जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय की मांग की जाती है जो आवश्यक प्रतीत हो, और न्याय करने में, यह स्पष्ट रूप से होगा

न केवल जातियों, नस्लों या जनजातियों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करना समीचीन है, बल्कि इसके संदर्भ में उक्त विनिर्देश बनाना भी समीचीन है -

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में।

11. ऊपर हमने जो निकाला है वह स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है

अन्य संविधान पीठ, अर्थात्, सूची का अंतिम होना अभिप्रेत है।

50. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया कि अदालतें यह निर्धारित करने के लिए जांच में प्रवेश नहीं कर सकती हैं कि क्या [2020] 11 एस. सी. आर. में इंगित तीन शर्तें हैं।

राष्ट्रपति के आदेश में देसी त्रिपुरा शामिल है जो लस्कर समुदाय को शामिल करता है। पैराग्राफ 20 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

हमें नहीं लगता कि हमें अधिकार क्षेत्र ग्रहण करना चाहिए और एक में प्रवेश करना चाहिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या तीन शब्दों में संकेत दिया गया है

राष्ट्रपति के आदेश में देसी त्रिपुरा शामिल है जिसमें लस्कर शामिल है।

99

समुदाय...

इस न्यायालय ने यह भी दोहराया कि इसके समक्ष जांच पर विचार किया गया है

राष्ट्रपति का आदेश दिया जाता है।

51. अगला फैसला पालघाट जिला थंडन पर ध्यान दिया जाना है।

स्मूदय संरक्षण समिति और अन्न। बनाम केरल राज्य और

एन. आर. , (1994) 1 एससीसी 359। उपरोक्त मामले में, एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता थंदन समुदाय से है, इसलिए, एक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। रिट याचिका को अनुमति दी गई, हालांकि, याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट में M.B.B.S पाठ्यक्रम में इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया कि वह थांडन नहीं थी। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के दो संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए कहा है कि न्यायालय अधिकार क्षेत्र को ग्रहण नहीं कर सकता है और यह निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश नहीं दे सकता है कि क्या राष्ट्रपति के आदेश की शर्तों में कोई विशेष समुदाय शामिल है। पैराग्राफ 17 और 18 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 17. हम उपयोगी रूप से एक के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं

श्रीश कुमार में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ

चौधरी बनाम। त्रिपुरा राज्य, 1990 सप एस. सी. सी. 220। यह

संविधान पीठ के निर्णयों पर विचार किया गया

बी. बसावलिंगप्पा बनाम। डी. म्यूनिचिन्नाप्पा, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269

और भैयालाल बी। हरिकिशन सिंह, ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1557 और

कुछ अन्य निर्णय। इसने अभिनिर्धारित किया कि दोनों संविधान पीठ

निर्णयों ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति के आदेशों में कोई भी संशोधन

राष्ट्रपति के आदेश में एक विशेष समुदाय शामिल था। एक राज्य सरकार के लिए उचित प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार था

उन मामलों में संशोधन जहां यह संतुष्ट था कि संशोधन आवश्यक थे और, यदि उचित जांच के बाद, महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. के अधिकारी।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

संतुष्ट थे कि एक संशोधन की आवश्यकता थी, एक संशोधन संविधान द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है।

18. इन निर्णयों में कोई संदेह नहीं है कि अनुसूचित

जाति आदेश को लागू किया जाना चाहिए और इसकी कोई जांच नहीं की जा सकती है।

यह निर्धारित करने के लिए आयोजित या साक्ष्य दिया जाता है कि कुछ विशेष है या नहीं। समुदाय इसके भीतर या बाहर आता है। संशोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं

अनुसूचित जाति आदेश का स्पष्ट प्रभाव, सिवाय इसके कि जैसा विचार किया गया हो अनुच्छेद 341 के अनुसार, वैध है।

52. कुमारी माधुरी पाटिल और अन्न में दो न्यायाधीशों की पीठ। बनाम।

एडल्ट। आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य। , (1994) 6 एस. सी. सी. 241 के पास महाराष्ट्र राज्य पर लागू होने वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 पर विचार करने का अवसर था। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में जाति "महादेव कोली" को शामिल किया गया था। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वे महादेव कोली के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के हकदार थे, जबकि प्रवेश रजिस्टर में जाति को "हिंदू कोली" के रूप में दिखाया गया था। अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को अस्वीकार कर दिया गया था। एक रिट याचिका दायर की गई थी उच्च न्यायालय में, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ मामला इस न्यायालय में आया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिसूचित अनुसूचित जाति महादेव कोली थी और याचिकाकर्ता हिंदू कोली होने के कारण इसके हकदार नहीं थे।

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

..... यह सामान्य ज्ञान है।

" 9. .....

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उत्थान शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के लिए और

पदों और नियुक्तियों के आरक्षण को अस्वीकार करने की मांग की जाती है

ऐसे आरक्षण का लाभ जो खुद को हकदार व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं ऐसी स्थिति के लिए जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति के लिए वंचित। मामले में

क्योंकि उनका व्यवसाय मछली पकड़ना है और वे मुख्य रूप से तटीय क्षेत्र में रहते हैं। महाराष्ट्र का क्षेत्र। महादेव कोली पहाड़ी जनजातियाँ हैं और ऐसा नहीं है।

एक उप-जाति। आजादी से पहले भी, महाराष्ट्र

सरकार ने पहले ही महादेव कोली को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था

इसकी सूची II में क्रम संख्या 15 में 29-5-1933 के रूप में। 1942 के संकल्प में

बॉम्बे संकल्प महादेव की अनुसूची बी में क्रम संख्या 15 में

कोली जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया [2020] 11 एस. सी. आर.

क्रम संख्या 13 के रूप में। राष्ट्रपति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में इसे दोहराया गया था। दिनांकित राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस संबंध में थोड़ा संशोधन किया गया था। 29-10-1956 . 1976 के संशोधन अधिनियम में क्षेत्र प्रतिबंध को हटाने के अलावा कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार महादेव कोली,

एक अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता के बाद भी एक अनुसूचित जनजाति बनी रही। राष्ट्रपति अधिसूचना, 1950 भी ऐसा ही करती है।

अनुसूचित जनजाति के रूप में उनकी स्थिति की सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा मान्यता। सुभाष गणपतराव कबाडे मामला 1 में बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ की यह धारणा कि महादेव कोली को पहली बार 1976 में संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी, वास्तविकता से संबंधित नहीं है और एक गलत धारणा है

उस ओर से सच्चाई की जांच करने के किसी भी प्रयास के बिना की गई धारणा। राष्ट्रपति की घोषणा, संसद द्वारा संशोधन के निर्णायक होने के अधीन, इसमें कोई जोड़ या घोषणा नहीं जातियाँ/जनजातियाँ या उप-जातियाँ/जनजातियों या जनजातियों के भाग या समूह

समुदायों की अनुमति है "।

53. नित्यानंद शर्मा और ए. एन. आर. में तीन न्यायाधीशों की पीठ। बनाम बिहार राज्य और अन्य। , (1996) 3 एस. सी. सी. 576 ने भी इसी तरह के प्रश्न पर विचार किया था। जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था, उसे निर्णय के पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित प्रभाव से नोट किया गया हैः

" 2. संक्षिप्त लेकिन किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित घोषित करने की अदालत की शक्ति के संवैधानिक कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों द्वारा संशोधित जनजाति (संशोधन अधिनियम), 1976 (संक्षेप में "अधिनियम") प्राथमिक प्रश्न है।

54. उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता लोहार समुदाय से था। उन्होंने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का दावा किया। राज्य ने दावे का विरोध किया कि बिहार राज्य में लोहार को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है न कि अनुसूचित जनजाति के रूप में। अनुसूचित जनजाति आदेश में प्रविष्टि में लोहारा/लोहड़ा का उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो प्रश्न विचार के लिए है वह अब एकीकृत नहीं है और यह भैयालाल और बी. बसावलिंगप्पा मामले में संविधान पीठ के फैसले के अनुपात में आता है। पैराग्राफ 13 और 15 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 13. फिर सवाल यह हैः क्या दरबार लोहारों को लोहारों या लोहारों के पर्याय के रूप में मान सकता है?

यह प्रश्न महाराष्ट्र और ए. एन. आर. का राज्य है। वी. केशव ईश्वरनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है। भैयालाल वी. हरिकिशन सिंह, आकाशवाणी 1965 एस. सी. 1557 इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक चुनाव याचिका में विचार किया था कि क्या दादर जाति अनुसूचित जाति थी। इसने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति को किसी जाति, नस्ल या जनजाति को निर्दिष्ट करने में स्पष्ट रूप से अधिसूचना को जाति, नस्ल या जनजातियों के कुछ हिस्सों या समूहों तक सीमित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसका मतलब यह होना चाहिए कि

वी. डी. म्यूनिचिन्नाप्पा, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1269। 15. यह संसद पर है कि वह कानून और अनुसूची में संशोधन करे और राज्य, जिला या क्षेत्र के लिए किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के हिस्से या समूह को अनुसूची में शामिल करे और बाहर करे और इसकी घोषणा निर्णायक है। न्यायालय के पास आदेश में निर्दिष्ट जनजातियों के समतुल्य के रूप में पर्यायवाची घोषित करने या किसी भी जाति/जनजाति आदि को शामिल करने या प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि के उद्देश्य के लिए

संविधान, अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित (एस. आई. सी.) के रूप में अनुच्छेद 366 (25) के तहत परिभाषित "अनुसूचित जनजाति" और उसके तहत दूसरी अनुसूची निर्णायक हैं। यद्यपि साक्ष्य यह पता लगाने के लिए एक सीमित सीमा तक स्वीकार्य हो सकता है कि क्या समुदाय जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में स्थिति का दावा करता है, वास्तव में संबंधित अनुसूची में शामिल था, न्यायालय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या भागों के पर्यायवाची शब्दों को शामिल करने या बाहर करने या प्रतिस्थापित करने या घोषित करने की शक्ति नहीं है।

उसकी या ऐसी जाति या जनजाति का समूह। ”

55. अनुच्छेद 18 और 20 में दी गई सहायता का पालन करते हुए अनुसूचित जनजाति के रूप में लोहार के दावे को अस्वीकार करनाः

" 18. यह देखा गया है कि अधिनियम के भाग III की दूसरी अनुसूची में, जैसा कि पहले यहाँ निकाला गया है, लोहार को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह केवल, जैसा कि अनुवादित संस्करण से प्रमाणित होता है, कि समुदाय 'लोहार' का गलत अनुवाद [2020] 11 एस. सी. आर. शब्द के लिए किया गया था।

' लोहरा 'या' लोहरा 'और बिहार राज्य पर लागू दूसरी अनुसूची, भाग III में शामिल किया गया है। श्री बी. बी. सिंह,

इसलिए, अंग्रेजी में मूल संस्करण और अनुवादित संस्करण को हमारे सामने रखना सही है। 20. तदनुसार, हम मानते हैं कि लोहार एक अन्य पिछड़े हैं

वर्ग। वे अनुसूचित जनजाति नहीं हैं और न्यायालय यह घोषणा नहीं कर सकता कि लोहार लोहारों या लोहारों के समकक्ष हैं या वे समान स्थिति के हकदार हैं। बिहार उच्च न्यायालय की किसी भी पीठ/पीठ द्वारा लिया गया कोई भी विपरीत दृष्टिकोण गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छिटपुट मामलों को छोड़कर, उस न्यायालय का एक सुसंगत दृष्टिकोण है कि लोहार अनुसूचित जनजाति नहीं हैं। वे लोहार हैं। हम सही को निर्धारित करने वाले उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं।

कानून "।

56. अब, हम महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य मामलों में इस न्यायालय के बाद के संविधान पीठ के फैसले पर आते हैं। , (2001) 1

एस. सी. सी 4. संविधान पीठ के समक्ष दो प्रश्न उठे, जो हैं -

निर्णय के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रभाव का उल्लेख किया गया है:

" इस अपील में निम्नलिखित दो प्रश्न विचार के लिए उठते हैं:

(1) चाहे किसी भी तरह से, जांच करने और यह तय करने या घोषित करने के लिए सबूत देने की अनुमति है कि कोई भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या इसका हिस्सा

किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय के भीतर समूह को सामान्य नाम में शामिल किया जाता है, भले ही इसका संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश में संबंधित प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो।

1950 ?

(2) क्या "हलबा-कोष्ठी" जाति उक्त अनुसूचित जनजाति आदेश की प्रविष्टि 19 (हलबा/हलबी) के अर्थ के भीतर एक उप-जनजाति है।

महाराष्ट्र राज्य से संबंधित, भले ही यह नहीं है

विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? ”

57. महाराष्ट्र राज्य में लागू संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि 19 हलबा/हलबी थी। दावा यह है एक अन्य जाति हलबा-कोष्टि द्वारा उठाया गया था कि वे भी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के हकदार हैं। जाति प्रमाण पत्र

प्रत्यर्थी को जाति जांच समिति द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिसे यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 कोष्ठी से संबंधित था और हलबा/हलबी अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं था।

रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह पूछताछ करने की अनुमति है कि क्या महाराष्ट्र और ए. एन. आर. का कोई उप-राज्य है।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

जनजाति का विभाजन उसमें उल्लिखित जनजाति का एक हिस्सा था और यह कि 'हलबा-कोष्ठी' महाराष्ट्र में लागू अनुसूचित जनजाति आदेश में प्रविष्टि संख्या 19 के अनुसार मुख्य जनजाति 'हलबा'/'हलबी' का एक उपखंड है। निर्णय के पैराग्राफ 5 में, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" 5. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और रद्द कर दिया

विवादित आदेशों में अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इसकी अनुमति थी

पता लगाएँ कि क्या किसी जनजाति का कोई उपखंड एक अभिन्न अंग था उस में उल्लिखित जनजाति का और "हलबा-कोष्टि" एक है

में प्रविष्टि 19 के अनुसार मुख्य जनजाति "हलबा/हलबी" का उपखंड

अनुसूचित जनजाति आदेश महाराष्ट्र में लागू होता है। अतः यह महाराष्ट्र राज्य विशेष अवकाश द्वारा अपील में आया है,

उच्च के आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाना प्रत्यर्थी की रिट याचिका को अनुमति देने वाला न्यायालय 1. ' 99

58. इस न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कहा कि

यह कहना संभव नहीं है कि राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकरण या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के पास अनुसूचित जनजाति आदेशों को संशोधित करने या बदलने की कोई शक्ति निहित है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी जांच की अनुमति नहीं है और यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जा सकता है कि जनजातियों या जनजाति के भीतर एक विशेष जाति या भाग या समूह राष्ट्रपति में शामिल है।

आदेश दें यदि वे स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

.....ऐसा प्रतीत होता है कि

" 12 .

एक विशेष जाति या एक जनजाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है जैसा भी मामला हो, इसमें निहित प्रविष्टियों के अर्थ के भीतर

अनुच्छेद 341 के खंड (1) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश

और 342, उन्हें देखते हुए निर्धारित किया जाना है जैसे वे हैं। खंड

(2) उक्त अनुच्छेदों में से किसी को भी संशोधन की मांग करने की अनुमति नहीं है

इस बात के प्रमुख साक्ष्य द्वारा कि जाति/जनजाति (ए)

केवल आदेश में उल्लेख किया गया है लेकिन जाति/जनजाति (बी) भी एक हिस्सा है

जाति/जनजाति (ए) और इस तरह की जाति/जनजाति (बी) को माना जाना चाहिए जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति होना। यह.

क्या केवल संसद ही जारी किए गए आदेशों में संशोधन करने के लिए सक्षम है

प्रत्येक राज्य से संबंधित अनुसूचियाँ जब भी एक जाति/जनजाति इसका एक और नाम है जिसका उल्लेख इसके बाद के कोष्ठकों में [2020] 11 एस. सी. आर. में किया गया है।

अनुसूची। इस दृष्टिकोण से राजपत्रकों को देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। या यह स्थापित करने के लिए शब्दावली कि संविधान के उद्देश्य के लिए एक विशेष जाति/जनजाति एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है,

भले ही इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है

राष्ट्रपति के आदेश। उक्त अनुच्छेदों के खंड (1) के तहत एक बार जारी किए गए आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा राष्ट्रपति द्वारा भी बाद के आदेश या अधिसूचना द्वारा बदला नहीं जा सकता है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकरण या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के पास कोई शक्ति निहित है -

उक्त आदेशों को संशोधित या परिवर्तित करें। यदि ऐसा है, तो किसी भी जांच की अनुमति नहीं है और यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जा सकता है कि जनजातियों या जनजाति के भीतर एक विशेष जाति या भाग या समूह शामिल है।

राष्ट्रपति का आदेश यदि वे आदेशों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। चूंकि राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने की कोई कवायद या प्रयास

अनुच्छेद 341 और 342 के खंड (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर व्यर्थ, कोई जांच करना या उस संबंध में कोई सबूत देना

यह न तो स्वीकार्य है और न ही उपयोगी है। 59. संविधान पीठ ने दोहराया कि शामिल करने की शक्ति

राष्ट्रपति के आदेश को स्पष्ट रूप से संशोधित या परिवर्तित किया जाता है और

सक्रिय रूप से संसद और न्यायालयों को प्रदान किया गया और निहित किया गया

उसे इस सवाल से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं करना चाहिए कि उसके लिए एक विशेष जाति या उप-जाति या समूह या जनजाति का हिस्सा शामिल है।राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित प्रविष्टियों में से एक। इसके बाद

पैराग्राफ 15 में मदद दें:

" 15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्यों के पास संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है राष्ट्रपति के आदेश। नतीजतन, सत्ता में एक पार्टी या

किसी राज्य में उस समय की सरकार दबाव से मुक्त होती है या

लोकप्रियता हासिल करने या वोट हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के साथ छेड़छाड़ का बोझ। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने में लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की संख्या और

राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा आच्छादित जनजातियाँ, पराजित करना और काफी हद तक हतोत्साहित करने वाला सुरक्षात्मक उद्देश्य

ऐसे लोगों के साथ उनके शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर भेदभाव किया जाता है। न्यायालय इस प्रश्न से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए कि क्या कोई विशेष महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य है।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

जाति, उप-जाति; एक समूह या जनजाति या उप-जनजाति का हिस्सा राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी एक में शामिल है।

अनुच्छेद 341 और 342 के तहत विशेष रूप से जब उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त आदेशों को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश को शामिल करने या बाहर करने, संशोधन करने या बदलने की शक्ति स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से संसद को प्रदान की गई है और संसद के पास निहित है।

और वह भी उस संबंध में एक कानून बनाकर। राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से राज्यों से परामर्श करने का लाभ मिला, जिनके पास यह पता लगाने और सिफारिश करने के लिए साधन और तंत्र थे कि क्या किसी विशेष जाति या जनजाति को राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया जाना था। यदि उक्त आदेशों में संशोधन किया जाना है, तो यह संसद ही है जो अदालतों के विपरीत साधन और तंत्र के बारे में जानने के लिए बेहतर स्थिति में है कि संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून द्वारा किसी विशेष जाति या जनजाति को क्यों शामिल किया जाना है या बाहर रखा जाना है। राज्य सरकारों या अदालतों या अन्य प्राधिकरणों या न्यायाधिकरणों को यह जांच करने की अनुमति देना कि क्या कोई विशेष जाति या जनजाति है

इसे अनुसूची में शामिल माना जाना चाहिए

राष्ट्रपति का आदेश, जब इसे विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाता है, तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

60. यह भी ध्यान देने योग्य है कि मिलिंद के मामले (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने पहले की दो संविधान पीठों के अनुपात को नोट किया है

बी. बसावलिंगप्पा के मामले और भैयालाल के मामले के फैसलों और पैराग्राफ 28 में उपरोक्त दो संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात की पुष्टि की गई है। पैराग्राफ 28 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 28. सम्मानजनक सहमति होने के नाते, हम उपरोक्त दो संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात की पुष्टि करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यह पता लगाने और यह तय करने के लिए कि क्या कोई जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय के भीतर या समूह के हिस्से को राष्ट्रपति के आदेश में संबंधित प्रविष्टि के दायरे और अर्थ के भीतर शामिल किया गया है, कोई भी जांच बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और कोई सबूत नहीं दिया जा सकता है, जबकि यह इतना स्पष्ट या विशेष रूप से नहीं है।

शामिल हैं। इसलिए, हम प्रश्न 1 का उत्तर नकारात्मक में देते हैं।

61. जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात को देखते हुए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि उच्च न्यायालय दावे पर विचार नहीं कर सकता था या यह पता लगाने और यह निर्णय लेने के लिए सबूतों पर गौर नहीं कर सकता था कि जनजाति "गोवारी" अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" का हिस्सा है, जो संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल है।

यह आगे

[2020] 11 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट करें कि संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात में कोई विरोधाभास नहीं है

बी. बसावलिंगप्पा के मामले में इस न्यायालय और महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य। (ऊपर)। बी. बसावलिंगप्पा के मामले का अनुपात

जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 6 में उल्लेख किया गया है और ऊपर निकाला गया है, इसे भैयालाल के मामले और मिलिंद के मामले में बाद के दो संविधान पीठ के फैसलों द्वारा दोहराया गया है। उपरोक्त तीन संविधान पीठ के फैसलों के अनुपात में कोई विरोधाभास नहीं होने के कारण, हम श्री रोहतगी के इस कथन में कोई सार नहीं पाते हैं कि संघर्ष को हल करने के लिए मामले को एक बड़ी संविधान पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। हम, इस प्रकार, प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। 1 और 2 निम्नलिखित शब्दों में:

(i) इन अपीलों को जन्म देने वाली रिट याचिका में उच्च न्यायालय एक जाति "गोवारी" के इस दावे पर विचार नहीं कर सकता था कि उसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि No.18 में शामिल "गोंड गोवारी" के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए और न ही उच्च न्यायालय निर्णय लेने के लिए सबूत ले सकता था।

उपरोक्त दावा।

((ii) बसावलिंगप्पा और मिलिंद के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के अनुपात में कोई टकराव नहीं है।

मामला।

प्रश्न संख्या। 3 और 4

उपरोक्त दोनों प्रश्न आपस में संबंधित होने के कारण लिए जा रहे हैं।

एक साथ।

62. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की प्रविष्टि 18 की मद No.28 में विद्यमान अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी"

महाराष्ट्र राज्य 29.10.1956 के बाद से बॉम्बे राज्य (अब महाराष्ट्र राज्य) की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बना हुआ है। "गोंड गोवारी" जाति अनुसूचित जनजाति के बड़ी संख्या में सदस्यों के लिए

महाराष्ट्र राज्य में समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 2008 की रिट याचिका संख्या 4779 (आदिवासी गोंड गोवारी (गोवारी) सेवा मंडल अपने अध्यक्ष बनाम के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य और अन्य) रिट याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या के नाम पर जारी जाति वैधता प्रमाणपत्रों को रद्द करने और अलग करने का अनुरोध किया है। 4 19 तक "गोंड गोवारी", अनुसूचित जनजाति के रूप में।

तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका थी जिसमें "गोंड गोवारी" के 16 उत्तरदाताओं को दिए गए जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जो स्पष्ट रूप से समुदाय "गोंड गोवारी" के अस्तित्व को साबित करता है। हालाँकि महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य द्वारा सिफारिशें की गई हैं।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

महाराष्ट्र ने वर्ष 1967 की शुरुआत में और उसके बाद वर्ष 1979 में "गोवारी" को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए, उक्त सिफारिशों को संसद द्वारा कभी भी स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि संसद द्वारा संविधान में कई संशोधन अधिनियमों को पारित करने के बावजूद (अनुसूचित जनजाति)

जनजाति) आदेश, 1950 अनुसूचित जनजाति में "गोंड गोवारी" की प्रविष्टि को कभी नहीं हटाया गया। "गोंड गोवारी" की प्रविष्टि को हटाने और गोवारी द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए एक निजी विधेयक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था और बदल गया था।

नीचे। उच्च न्यायालय ने आर. वी. रसेल और राय की पुस्तक "ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया" का भी उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है।

बहादुर हीरालाल में "गोंड गोवारी" और "गोवारी" जातियों को अलग-अलग जातियों के रूप में देखा जाता था। यह भी रिकॉर्ड में है कि

महाराष्ट्र राज्य ने भले ही गोवारी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए दिनांकित 26.03.1979 और 12.06.1979 पत्रों के माध्यम से सिफारिश की थी, लेकिन 06.11.1981 पर महाराष्ट्र राज्य ने गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को लिखा, जिसमें अनुच्छेद 3 (iii) में अनुसूचित जनजातियों के विषय से संबंधित निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 3 (iii) निम्नलिखित जनजातियाँ एस. टी. के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं और इसलिए

राज्य सरकार उन्हें इस राज्य के एस. टी. की सूची में शामिल करना आवश्यक नहीं समझती है और इसलिए उन्हें शामिल करने की अनुशंसा नहीं की जाती हैः

1) ओटारी

2) गोवारी

3) धनगर

4) माना "।

63. इस प्रकार, राज्य सरकार ने गोवारी को शामिल नहीं करने की सिफारिश की क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। यह है कि

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार के भारत संघ को लिखे पत्र में गोवारी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की सूची से "गोंड गोवारी" को हटाने की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। गोवारी के संबंध में दिनांकित 26.03.1979 पत्र में निम्नलिखित कथन किया गया थाः

" III] गोवारीः इस समुदाय को वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गोंड गोवारी" के रूप में शामिल किया गया है। सरकार के समक्ष यह प्रतिनिधित्व किया गया है कि गोवारी समुदाय इसका उप-समूह नहीं है।

जनजाति, गोंड, लेकिन अपने आप में एक अलग जनजाति है। राज्य सरकार ने तदनुसार भारत सरकार से [2020] 11 एस. सी. आर. दिखाने की सिफारिश की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोवारी जनजाति अलग से। मुख्यमंत्री के डी. ओ. पत्र की एक प्रति

दिनांकित 27.1.1967 संलग्न है। गोवारी जनजाति को अब शामिल किया जा सकता है, एक अलग जनजाति के रूप में। अनुसूचित जातियों पर संयुक्त समिति

और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967

समुदाय को एक अलग जनजाति के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई

विदर्भ क्षेत्र के लिए "।

64. इस प्रकार, गोवारी को अलग से शामिल करने की सिफारिश की गई है।

गोवारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लाभ का हकदार नहीं है। महाराष्ट्र राज्य सरकार, जनजातीय विकास विभाग ने जी. आर. दिनांक 24.04.1985 जारी किया है जिसमें राज्य सरकार ने "गोंड गोवारी" को गोंड की छोटी उप-जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति जाति को गोवारी के रूप में संदर्भित किया है। सरकार के साथ अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति समुदाय, जो लाभ का दावा कर रहे थे, का एक तुलनात्मक चार्ट दिनांकित 24.04.1985 प्रस्ताव संलग्न किया गया था। यह तुलनात्मक तालिका निकालने के लिए उपयोगी है जो इसका हिस्सा थी

सरकारी संकल्प दिनांक 24.04.1985 जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

सामान्य स्थानों पर पारंपरिक

टिप्पणी और

संख्या

सामान्य जानकारी गैर

निवास, व्यवसाय सामान्य

अनुसूचित जनजाति के निवास

सूची और अनुसूचित जनजातियों, जाति/जनजाति से

गैर-सूचना का अनुमानित

जनजाति, जिसके अनुरूप जनसंख्या और अनुसूचित हो सकती है

द.

संबंधित जनजातियाँ, उप-जनजाति और अन्य सामान्य जाति/जनजाति प्राप्त करें जनजाति या उप-मूल स्थान, जानकारी द्वारा प्रमाण पत्र

गैर-अनुसूचित को दिखाने की उस आबादी पर जनजाति

संबंधित जनजाति, जाति/जनजाति की समानता

संख्या

उप-जनजाति और अन्य नाम (से

सामान्य सूचना कॉलम संख्या 3)

अनुसूचत

जनजातियाँ,

संबंधित

जनजातियाँ

6

7

4

1

5

2

3

जनसंख्या उनका मुख्य वहाँ नहीं है

एक छोटी सी गोवारी है,

8 (18) गोंड

सामाजिक संबंध

गोवारी, व्यवसाय

गोंड जनजाति की जनजाति। गावरी,

गोवारी

कोई अलग नहीं है

गवरी को होना चाहिए

गोवारी और

गे गोवानी,

दूध-गोवारी

2 लाख हो। यह खेती,

उल्लेख करें

संबंधित

इसकी जनसंख्या

जाति फैला हुआ गाय है

जनजातियों के साथ

मुख्य रूप से

उप-जनजाति।

पशु में

गोंड जनजाति।

उनके

जनसंख्या

है।

नागपुर,

खेती-बाड़ी,

अमरावती,

उत्पादन

मिलाया गया

में

गोंड की जनसंख्या

वर्धा,

दूध का,

यवतमाल,

जनजाति।

पशुपालन।

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

वहाँ कोई नहीं है

यह जनजाति पाई जाती है

भंडारा,

कुरखेड़ा तालुका में,

पारंपरिक,

चंद्रपुर,

गढ़चिरौली डी स्ट्रिक्ट।

गढ़चिरौली

वंशानुगत,

गोंड के लोग

भाषा,

जिले।

जनजाति जो पशु करती है

" कृष्ण,

वैवाहिक

खेती को कहा जाता है

गंगा, जमुना "

संबंध

स्थानीय लोगों द्वारा गोंड

बीच में

द.

हैं।

गोवारी। 1901 में,

पूजा करना।

उन्हें। गोंड

उनकी आबादी

देवता/देवी

गोवर नहीं करते हैं

चंद्रपुर जिला

इस जनजाति से।

दूध का

काडे-कोडेवन

3000 था। उनके रूप में

गायें। वे.

केवल करें।

उनका मुख्य है

गोंड के हैं

जाति, उनकी भाषा,

भगवान।

जानवर

वे.

सामाजिक जीवन, रीति-रिवाज,

है।

खेती करते हैं।

जाति

परंपराएँ, धार्मिक

पंचायत और

इसके बजाय

इसका प्रमुख है

गोवारी जनजाति

संस्कार हैं कि

गोंड। कुल, परिवार

फोन किया।

करें।

उत्पादन

" गोंड्य "।

देवता/देवी,

उपनाम और अन्य

वे नहीं करते।

दूध से। देय

के समान है

में शादी करें

के लिए

गोंड

एकर समानता

कबीला।

एक ही

कबीले जैसे

का नाम

हर के लिए,

" गावरी "

शब्द, लोग

अंबादारे,

कोहाच्य,

"गोवारी",
गावरी "

रावत, साखेना,

ठाकरे,

इसे प्राप्त करें

सोनावाने।

अनुसूचत

जनजाति

को प्रमाण पत्र

ले लो
के लाभ

जनजाति।

65. उपरोक्त सामग्री जो इससे पहले अभिलेख में थी

उच्च न्यायालय के साथ-साथ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में "गोंड गोवारी" को पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से जारी रखने के कारण, उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करने के लिए खुला नहीं था कि क्या अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" अनुसूचित जनजाति में नहीं है।

अस्तित्व।

66. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में तैयार किया है

निर्णय के अनुच्छेद 31 में तीन प्रश्न हैं जो निम्नलिखित के लिए हैं

प्रभावः

" इसलिए, इन सभी मामलों में शामिल प्रश्न हैं -

तीन गुना नीचे दिया गया हैः

(1) क्या इस न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करना अनुज्ञेय है कि यह गोवारी है?

अकेले समुदाय जिसका अर्थ 28 वीं वस्तु "गोंड गोवारी" से है संविधान में प्रविष्टि संख्या 18 में जनजातियों का समूह (अनुसूचित

जनजाति) आदेश?

(2) क्या 29-10-1956 पर "गोंड गोवारी" के रूप में कोई जनजाति मौजूद थी, यानी प्रविष्टि में 28 वीं वस्तु के रूप में इसे शामिल करने की तारीख

गोंड और गोवारी के अलावा उक्त आदेश की संख्या 18? ,

(3) यदि "गोंड गोवारी" जैसी कोई जनजाति मौजूद नहीं थी,

क्या यह अकेले गोवारी समुदाय था जिसे शामिल किया गया था

28 उक्त आदेश की प्रविष्टि No.18 में वस्तु?

67. उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए

बी. बसावलिंगप्पा रिट याचिका में प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े कि क्या "गोंड गोवारी" संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल होने से पहले अस्तित्व में नहीं थे। हम पहले ही यह मान चुके हैं कि बी. बसावलिंगप्पा के फैसले के अनुपात ने उच्च न्यायालय को इस मुद्दे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी कि क्या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल एक जनजाति मौजूद नहीं थी। उच्च न्यायालय ने सवाल का जवाब दिया

नं. 2 और 3 जैसा कि पैराग्राफ 34 से 57 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

68. अब, हम उच्च द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं

अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 41 से 43 में भारत की जनगणना 1891 पर ध्यान दिया है। स्वयं उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में उल्लेख किया है कि 1891 की जनगणना में "गोवारी" और "गोंड गोवारी" के अलग-अलग आंकड़े दिए गए थे। पैराग्राफ 43 में उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" 43 ..... चार जिलों (i) नागपुर, (ii) वर्धा में गोवारियों और गोंड गोवारियों की अलग-अलग जनसंख्या के आंकड़े।

(iii) चंदा और (iv) नागपुर मंडल में भंडारा को दिखाया गया था

1891 की जनगणना रिपोर्ट में तालिका XIII। की ताकत

उक्त जनगणना में गोवारिस और गोंड गोवारी को दिखाया गया था

नागपुर में 13,491 और 11, वर्धा में 10,397 और चंदा में 60

11,217 और 19, भंडारा में क्रमशः 49212 और 335 भाग में

सी. पी. और बरार का।

69. उच्च न्यायालय ने 1901 की जनगणना पर भी ध्यान दिया है और

यह देखा कि नागपुर मंडल में "गोवारी" और "गोंड गोवारी" की कुल आबादी का उल्लेख किया गया था। गोवारी का उल्लेख 91,632 के रूप में किया गया था और जबकि नागपुर के पांच जिलों में गोंड गोवारी का उल्लेख किया गया था।

2, 553 के रूप में विभाजन। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 1911 की जनगणना की जांच शुरू की और यह देखा कि जाति के पहले के वर्गीकरण को उनके सामाजिक उदाहरणों के अनुसार बदल दिया गया था, जो पिछले वर्ग महाराष्ट्र और ए. एन. आर. में वापस आ गया था।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

1891 में पारंपरिक व्यवसायों के अनुसार जाति का वर्गीकरण

37 मुख्य व्यावसायिक समूहों में से समूह IV वन और पहाड़ी जनजातियों का था और समूह V चरवाहों और दुग्ध व्यवसायियों का था। उच्च न्यायालय ने देखा कि 1911 की जनगणना में मध्य प्रांतों में समूह V ने गोवारी का उल्लेख 1,57,580 के रूप में किया था, लेकिन "गोंड गोवारी" का कोई उल्लेख नहीं था। इसी तरह, ग्रेज़ियर्स और डेयरीमैन के समूह V की 1921 की जनगणना देखी गई जिसमें गोवारी का उल्लेख 155,902 के रूप में किया गया था। जनगणना से उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 57 में निम्नलिखित प्रभाव से अपना निष्कर्ष दर्ज कियाः

" 57. हमारे विचार में, जनजाति "गोंड गोवारी", जो गोंड और गोवारियों के गठबंधन द्वारा बनाई गई एक छोटी संकर जाति थी।

1911 की जनगणना से पहले यह पूरी तरह से विलुप्त हो गया था और इसका कोई निशान मराठा देश सी. पी. और बरार या मध्य प्रदेश राज्य में नहीं मिला था। इसलिए, हमारा मानना है कि "गोंड गोवारी" के रूप में कोई जनजाति मौजूद नहीं थी, जो कि 29-10-1956 पर है, यानी इसे संविधान की प्रविष्टि संख्या 18 में 28 वीं मद के रूप में शामिल करने की तारीख।

महाराष्ट्र राज्य के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश और केवल गोवारी समुदाय को "गोंड गोवारी" के रूप में दिखाया गया था। इसलिए हम प्रश्न संख्या का उत्तर देते हैं। (2) और (3) तदनुसार।

70. उच्च न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में 1891 और 1901 की जनगणना में "गोंड गोवारी" का उल्लेख पाया है। नागपुर संभाग में उपरोक्त दो जनगणनाओं में "गोंड गोवारी" के पर्याप्त आंकड़े देखे गए। उच्च न्यायालय ने स्वयं इस बात पर ध्यान दिया कि 1911 में जनगणना के आधार को बदल दिया गया था, पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण किया गया था जिसमें समूह IV वन और पहाड़ी जनजातियों का था और समूह V चरवाहों और डेयरी मालिकों का था, 1911,1921 और 1931 के आंकड़े देखे गए हैं जहां समूह V चरवाहों और डेयरी मालिकों में,

गोवारी का उल्लेख था। केवल यह तथ्य कि 1911,1921 और 1931 की जनगणना में केवल समूह V के आंकड़े दिए गए थे, यानी, चरवाहे और डेयरीमैन और "गोंड गोवारी" का कोई उल्लेख नहीं था, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गए थे। एक अनुसूचित जनजाति जो स्वीकार्य रूप से अस्तित्व में थी और जिसकी एक अलग पहचान थी, उसे केवल आधार के कारण विलुप्त नहीं माना जाएगा

बाद के वर्षों में जनगणना में बदलाव किया गया है। अनुसूचित जनजाति को दिया जाने वाला लाभ केवल जनगणना संचालन में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। कई जनजातियाँ [2020] 11 एस. सी. आर. थीं।

संसद के अधिनियम द्वारा सूची से हटा दिया गया और कई नई जनजातियों को शामिल किया गया। संसद की संयुक्त समिति द्वारा जनजातियों के बहिष्कार के लिए सिफारिशें की गई थीं जिन्हें 1961 की जनगणना में उन समुदायों के संबंध में कोई वापसी नहीं होने पर बाहर रखा गया था और

1971. हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है:

" ..... समिति ने कुछ समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने की भी सिफारिश की थी। ये बहिष्करण वर्तमान में नहीं किए जा रहे हैं और ऐसे समुदायों को वर्तमान क्षेत्र के साथ सूची में रखा जा रहा है।

प्रतिबंध। ऐसे समुदाय जिनके संबंध में संयुक्त समिति ने इस आधार पर बहिष्कार की सिफारिश की थी कि 1961 और 1971 की जनगणना में इन समुदायों के संबंध में कोई विवरणी नहीं थी।

71. उपरोक्त स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचियों वाली जातियों को केवल तभी बाहर रखा गया था जब उनके संबंध में कोई प्रतिफल नहीं था

1961 और 1971 की जनगणना। इस प्रकार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा आधार कि जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 की जनगणना से पहले विलुप्त हो गई थी और बाद की जनगणना 1911,1921 और 1931 में उन्हें समूह V में नहीं दिखाया गया था, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में उप-जनजाति को "गोंड गोवारी" के रूप में शामिल करना 29.10.1956 पर था जब उप-जनजाति "गोंड गोवारी" को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था, यह माना जाना चाहिए कि उक्त समावेश राज्य के साथ परामर्श के बाद और प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क के आधार पर संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" को शामिल करने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने आर. वी. रसेल और रेल बहादुर हीरालाल की पुस्तक "ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया" का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है, जिसमें खंड III समुदाय गोंड की पुस्तक "गोंड" है। गोवारी और गोवारी सभी को अलग-अलग निपटाया गया था, खंड III में गोंड गोवारी का वर्णन करते हुए रसेल कहते हैं:

" गोंड-गोवारी। — मराठा देश के गोंड और गोवारियों या चरवाहों के बीच गठबंधन से बनी एक छोटी संकर जाति। हालाँकि उन्हें अब एक अलग जाति के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि वे अशुद्ध हैं और इस प्रकार गोंड या गोवारियों में से किसी एक से नीचे हैं, फिर भी उन्हें अक्सर उनमें से किसी एक के साथ पहचाना जाता है।

1901 में केवल महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य। वी. केशव ईश्वरनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

3000 ज्यादातर नागपुर और चंदा से लौटाए गए थे। जिले। 1911 में उन्हें गोवारियों के साथ मिला दिया गया था, और इस विचार को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक ही है। गोवारियों का कहना है कि गोंड-गोवारी दो भाइयों में से एक के वंशज हैं जिन्होंने गलती से गाय का मांस खा लिया था। गोंड और गोवारी दोनों लंबे समय तक एक साथ जंगलों में रहते हैं, और यह स्वाभाविक है कि दोनों लिंगों के युवाओं के बीच अंतरंगता पैदा होनी चाहिए। और इन अनियमित कनेक्शनों की संतान है

एक अलग जाति का गठन किया, जिसे इसके दोनों पूर्वजों द्वारा नीचा देखा जाता था। गोंड-गोवारियों की कोई उपजाति नहीं है, और उनके उद्देश्यों के लिए

विवाहों को विवाहेतर संबंधों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से सभी गोंड नामों से होते हैं। गोंडों की तरह, जाति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः छह और सात देवताओं की पूजा करते हैं, और समान संख्या में देवताओं की पूजा करने वाले संप्रदायों के सदस्यों को एक-दूसरे के साथ विवाह नहीं करना चाहिए।

72. इसी खंड में गोवारी के बारे में बताया गया हैः

1911 में 150,000 से अधिक लोग थे, जिनमें से लगभग 1,20,000 नागपुर संभाग के थे और लगभग 30,000 बेरार के थे। उन इलाकों में जहां गोवारियों की प्रधानता है, अहिर या गाओली, नियमित चरवाहे जाति, केवल कम संख्या में पाए जाते हैं। गोवारियों की सम्मानजनक उपाधि धरे है, जिसका अर्थ है 'जो मवेशी रखता है'। गोवारियों का स्थान स्पष्ट रूप से नीचे है अहिर या गाओली "।

73. इसी खंड में गोवारी विंग की उप-जाति का वर्णन करते हुए विवरण दिया गया हैः

" गोवारियों के तीन विभाग हैं, गाय गोवारी, इंगा और मारिया या "गोंड गोवारी"। गाय या गाय गोवारियाँ सबसे ऊँची होती हैं और संभवतः उनमें अधिक गाओली रक्त होता है। इंगा और मारिया या गोंड गोवारी अधिक सीधे गोंडों से व्युत्पन्न हैं। चंदा में गोंड जनजाति के एक बड़े वर्ग को दिया गया नाम मारिया है। दोनों अन्य दो उपजातियाँ गाय गोवारियों और गोंड गोवारियों से पका हुआ भोजन लेंगी, लेकिन इंगा उपजातियाँ इसे गोंड से नहीं लेंगी, और न ही अन्य दो में से किसी से गाय गोवारियाँ। गोंड गोवारियों ने

एक अलग जाति के रूप में माना जाता है और उन पर एक अलग लेख दिया जाता है, [2020] 11 एस. सी. आर.

लेकिन जनगणना में श्री मार्टेन ने उन्हें इसके साथ मिला दिया है गोवारिस। यह शायद अधिक सही है, क्योंकि उन्हें स्थानीय रूप से जाति की एक शाखा माना जाता है। लेकिन उनके रीति-रिवाज कुछ बिंदुओं में अन्य गोवारियों के रीति-रिवाजों से अलग हैं। वे बाहरी लोगों को प्रवेश देंगे

कोई भी सम्मानित जाति और गोंड देवताओं की पूजा करें, [115] और इसलिए, उन पर अलग लेख की अनुमति देने में कोई नुकसान नहीं है।

रहने के लिए।

74. उपरोक्त परिच्छेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

" गोंड गोवारी को एक अलग जाति माना गया है और जनगणना में उन्हें गोवारी के साथ मिला दिया गया है। रसेल द्वारा दिए गए विवरण से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कि "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गए थे। 75. यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह पिछड़े वर्ग आयोग (1955) की रिपोर्ट के बाद था, जिसमें इसे शामिल करने की सिफारिश की गई थी।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए गोंड की उप-जनजाति के रूप में गोवारी, परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आदेशों द्वारा

(संशोधन) अधिनियम, 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में "गोंड गोवारी" को प्रविष्टि 12 में जोड़ा गया था और राज्य के पुनर्गठन के बाद, बॉम्बे राज्य में आने वाले जिलों में "गोंड गोवारी" को जोड़ा गया था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 दिनांक 29.10.1956 "गोंड गोवारी" जोड़ा गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूचियों को सचेत रूप से जोड़ा गया है (संशोधन) आदेश, 1956 को "गोंड गोवारी" के रूप में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि संसद में ऐसी जनजाति शामिल थी जो 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी।

तथ्यों का पता लगाने के लिए जनजातीय विकास विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता सौंपी गई थी। द. 12.05.2006 पर अनुसंधान अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से उन क्षेत्रों का दौरा किया जिनमें गढ़चिरौली जिले के विभिन्न गांवों में गोवारी जाति और "गोंड गोवारी" जाति की अधिकतम आबादी पाई गई थी। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 68 का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 68. दिनांकित 12-5-2006 (गलत तरीके से '18-5-2006' के रूप में उल्लिखित) रिपोर्ट को देखने के बाद, हम पाते हैं कि शोध अधिकारी महाराष्ट्र और ए. एन. आर. के राज्य हैं।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

क्षेत्रों का दौरा किया। अनुसंधान अधिकारियों की समिति

कुछ लोगों के राजस्व और स्कूल रिकॉर्ड की तलाशी ली गई दावेदार। यह उक्त समिति का निष्कर्ष है कि

जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय से 1950 से पहले की अवधि, जो इसमें विद्यालय प्रवेश रजिस्टर और शपथ पत्र शामिल थे। यह पाया गया

गोवारी (गोंड) की एक प्रविष्टि 1-7-1955 पर की गई और बाकी प्रविष्टियाँ गोवारा या गोवारी की हैं, जो जिले में भी पाई जाती हैं।

रामगढ़, येंगलेखेड़ा, सालेतोला में परिषद प्राथमिक विद्यालय। द.

अनुसंधान अधिकारी आगे इस निष्कर्ष को दर्ज करते हैं कि मौखिक रूप से

ग्रामीणों के साक्षात्कार, यह पाया जाता है कि "गोंड गोवारी" जनजाति है

गोवारी जनजाति के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, यह पाया गया कि स्वतंत्र जनजाति, सांस्कृतिक लक्षणों और रीति-रिवाजों में कोई समानता नहीं है

गोंड या गोंड गोवारी के साथ। समिति ने स्थापित करने की कोशिश की है

गोवारिस और के बीच अंतर करने के लिए छह परीक्षणों को नीचे करें " गोंड गोवारी "s"।

77. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पैराग्राफ में ही ध्यान दिया है कि

अनुसंधान अधिकारियों ने अनुसंधान किया और इसकी प्रविष्टि भी पाई है " गोंड गोवारी "01.07.1955 पर बनाया गया। इस प्रकार, 29.10.1956 से पहले के अनुसंधान अधिकारियों ने "गोंड गोवारी" पाया इसलिए उपरोक्त साक्ष्य, जिस पर उच्च न्यायालय ने खुद भरोसा किया था, ने साबित किया कि "गोंड गोवारी" जनजाति अस्तित्व में थी और अनुसंधान अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पाई गई थी। यद्यपि पैरा 68 में उपरोक्त तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान दिया गया था, लेकिन पैरा 74 में शीर्षक में कहा गया थाः यू. एस. द्वारा उप-पैरा (3) में उच्च न्यायालय कहता हैः

" 74 (3) शोध की रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं है

अधिकारियों ने 12/18-5-2006 पर प्रस्तुत किया। शोध अधिकारी

व्यक्तिगत रूप से गोंड गोवारिस के निवास के मुख्य क्षेत्र का दौरा किया,

राजस्व विभाग ने ग्रामीणों के मौखिक साक्षात्कार लिए, लेकिन गोंड गोवारी या किसी व्यक्ति के रूप में कोई प्रविष्टि नहीं मिली

यह जनजाति। शोध अधिकारी इस निष्कर्ष को दर्ज करते हैं कि गोवारी जनजाति का गोंडों के साथ कोई संबंध नहीं है।

(हम
पर जोर दें)

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

78. उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अनुसंधान अधिकारियों को "गोंड गोवारी" के रूप में कोई प्रविष्टि नहीं मिली, तथ्यात्मक रूप से गलत है और जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 68 में पाया गया था, उसके विपरीत है।

79. हम पहले ही जनजातीय विकास विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव दिनांक 24.4.1985 के ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

"गोंड" और "गोंड गोवारी" के बीच का अंतर, "गोंड" के अनुसूचित जनजाति समुदाय के चरित्र और रीति-रिवाजों में अंतर बताएँ।

गोवारी "और गोवारी का समुदाय जैसा कि ऊपर निकाला गया है। सरकारी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा अध्ययन के बाद जारी किया गया था, उच्च न्यायालय ने हालांकि फैसले के पैराग्राफ 70 में उपरोक्त प्रस्ताव पर ध्यान दिया है, लेकिन इस बात का कोई कारण नहीं बताया है कि दो जनजातियों में भेदभाव को क्यों त्याग दिया जाए।

80. एक और कारण है जिसके कारण उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" पहले विलुप्त हो चुकी थी

1911 गलत होना पड़ता है। इसका कारण यह है कि 2008 की रिट याचिका No.4779 में अडवासियों "गोंड गोवारी" द्वारा प्रतिवादी को दिए गए "गोंड गोवारी" के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।

नं. 4 19 तक। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करके "गोंड गोवारी" के प्रमाण पत्र मांगे हैं जिन पर उच्च न्यायालय पैराग्राफ में विचार करता है।

77 83 तक। पैराग्राफ 77 में उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित चर्चा की गई है:

" 77 ..... रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 दावेदारों ने उद्धरण प्रस्तुत किए

तालुका भूमि अभिलेखों द्वारा अनुरक्षित पी-आई रजिस्टर अपने पूर्वजों की जाति को "गोंड" के रूप में दिखाने वाले विभाग

अपनी जनजाति को "गोंड गोवारी" के रूप में इंगित करते हुए; 53 दावेदारों ने अपनी जनजाति को गोवारी के रूप में इंगित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए; 29 दावेदारों ने अपनी जनजाति को गोवारा के रूप में दिखाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए; और 9 दावेदारों ने अपनी जनजाति को गोंड के रूप में दिखाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस स्थिति को भी स्वीकार किया जाता है और जवाब में प्रदर्शित किया जाता है। समिति द्वारा दाखिल किया गया "।

81. उच्च न्यायालय ने समिति के अभिलेखों को देखने के बाद पैराग्राफ 83 में पाया कि 39 दावेदारों ने महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. दस्तावेज प्रस्तुत किए।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

"गोंड गोवारी" के प्रमाणपत्र बड़ी संख्या में दाखिल किए गए थे और राजस्व प्रविष्टियों द्वारा समर्थन करने के लिए दस्तावेज थे जिनमें से कुछ 1950 से पहले की हैं और जिन प्रमाणपत्रों को रिट याचिका में रद्द करने की मांग की गई थी, अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" का अस्तित्व बहुत अधिक पाया गया था। जाति जाँच समिति ने उक्त प्रमाणपत्रों को मान्य करने के बाद उच्च न्यायालय के लिए यह कहना खुला नहीं था कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। "गोंड गोवारी" उम्मीदवारों के अनुसंधान अधिकारियों की रिपोर्ट दिनांकित "आईडी1" और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों सहित उच्च न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य थे, उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं था कि अनुसूचित जनजाति "गोंड गोवारी" 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय ने सभी प्रमाणपत्रों को तलब किया और ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि प्रमाण पत्र नकली थे या जिन व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिए गए थे वे अस्तित्व में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती की कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष लाई गई सामग्री के आधार पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी।

82. हम, इस प्रकार, प्रश्न Nos.3 और 4 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैं:

जवाब-नहीं। 3

उच्च न्यायालय इस मुद्दे में प्रवेश नहीं कर सकता था कि

" गोंड गोवारी "जिसका उल्लेख अनुसूचित जनजाति में किया गया था

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 जैसा कि 1976 तक संशोधित किया गया था, अब अस्तित्व में नहीं है और 1911 से पहले विलुप्त हो गया था। जवाब-नहीं। 4

विवादित फैसले में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि "गोंड गोवारी" जनजाति 1911 से पहले विलुप्त हो गई थी

उन सामग्रियों द्वारा समर्थित जो उच्च से पहले रिकॉर्ड पर थीं

अदालत। प्रश्न सं। 5 & 6

आपस में जुड़े हुए दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जाता है।

83. जाति 'गोवारी' और 'गोंड गोवारी' दो अलग और अलग-अलग जातियाँ हैं। हमने 'गोवारी' का वर्णन निकाला है और

' गोंड गोवारी 'रसेल और हीरालाल द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक' द [2020] 11 एस. सी. आर. 'में दी गई है।

भारत के मध्य प्रांतों की जनजातियाँ और जातियाँ '। रसेल और हीरालाल ने 'गोवारी' और 'गोंड गोवारी' के बारे में अलग-अलग बात की है और स्पष्ट रूप से कहा है कि 'गोंड गोवारी' को 'गोवारी' से अलग जाति माना गया है। हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, नेशनल सीरीज वॉल्यूम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का भी उल्लेख कर सकते हैं। III "अनुसूचित जनजातियों" पर, जहाँ 'गोंड गोवारी' का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया हैः -

" गोंड, गोवारी वे पशुपालकों का एक समुदाय हैं जिन्हें रसेल और हीरालाल (1916) द्वारा गोंड गोवारी के रूप में संदर्भित किया गया है और गोंड और गोवारियों के बीच गठबंधन द्वारा बनाई गई एक छोटी संकर जाति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार की सूची में गोंड के एक उपसमूह गोवारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालाँकि, हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि वे एक अलग समुदाय हैं और किसी अन्य जनजाति का उपसमूह नहीं हैं। ये महाराष्ट्र के भंडारा, अमरावती और गढ़चिरौली जिलों और मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिओनी जिलों में पाए जाते हैं। मराठी अंतर और अंतर-समूह संचार दोनों के लिए बोली जाती है। देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। गोवारी काले रंग के छोटे और मध्यम कद के लोग हैं। मुख्य आहार चावल, ज्वार और गेहूँ, स्थानीय दालें और मौसमी सब्जियाँ हैं। वे गैर-शाकाहारी हैं लेकिन गोमांस नहीं खाते हैं।

84. 'गोवारी' जो एक अन्य पिछड़ा समुदाय है

उपरोक्त पुस्तक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। 85. हम पहले ही जनजातीय विकास विभाग द्वारा दिनांकित 12.05.2006 की जांच रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं। जाँच रिपोर्ट में कहा गया है

निम्नलिखितः -

" गोवारी जाति और गोवारी जनजाति की संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपराओं को जानने के संबंध में, उपरोक्त गाँवों का दौरा किया गया और इन यात्राओं के दौरान गाँव की सूचना पत्रक का उपयोग किया गया।

उन्हें और उनके बयान दर्ज किए गए। इन दोनों समुदायों में से किसी से भी संबंधित नहीं रहने वाले बाकी ग्रामीणों से भी इन दोनों के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। समुदाय। इस जानकारी से पता चला है कि गोंड

गोवारी जनजाति गोंड जनजाति की एक उप-जनजाति है और इन समुदायों के बीच भोजन और वैवाहिक संबंधों (रोटी-बेटी संबंध) का पारंपरिक मिश्रण है और समान सांस्कृतिक रीति-रिवाज और महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य हैं।

उनके बीच की परंपराएँ। हालांकि, गोवारी जाति के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद यह पता चला है कि इसका एक अलग अस्तित्व है और इसकी संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराएं गोंड या गोंड गोवारी जनजाति के सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और परंपराओं से मेल नहीं खाती हैं जो पूरी तरह से अलग हैं।

जिस जाति को अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है, उसे अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए जांच नहीं की जा सकती थी। उच्च न्यायालय यह घोषणा नहीं कर सकता था कि 'गोवारी' जाति 'गोंड गोवारी' है जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय की प्रविष्टि 18 की मद 28 में किया गया है। संवैधानिक अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 को आज की तारीख में संशोधित किया गया है।

87. उच्च न्यायालय का विचार है कि 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है, इसलिए इसकी वैधता का परीक्षण सरकारी आदेश दिनांक 24.04.1985 में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है।

इसे अलग जाति माना जाता है और 'गोंड' के साथ कोई संबंध साबित करना आवश्यक नहीं है। वह प्रस्तुत करता है कि प्रविष्टि 18 में "सम्मिलित" शब्द था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा हटा दिया गया, जिसका प्रभाव यह था कि प्रविष्टि 18 में जाति की सभी प्रविष्टियां 'गोंड' से स्वतंत्र हो गईं और 'गोंड' से किसी भी समुदाय द्वारा कोई संबंध साबित नहीं किया जाना है। वह प्रस्तुत करता है कि 'गोवारी' लाभ का दावा करने के लिए [2020] 11 एस. सी. आर.

अनुसूचित जनजाति को 'गोंड' के साथ कोई संबंध साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक गैर-मौजूद जनजाति की उपेक्षा करने और अनुसूचित जनजाति के लाभ का विस्तार करने की कवायद को उचित रूप से शुरू किया है। श्री रोहतगी ने महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम जमात मंडल, (2006) 4 एस. सी. सी. में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। 98. उपरोक्त मामले में, दो प्रश्न उठाए गए थे जो निर्णय के पैराग्राफ 1 में देखे गए हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से हैंः -

" 1. जिसके संबंध में एक निरंतर विवाद प्रतीत होता है

अनुसूचित जनजाति की स्थिति ने फिर से काफी समय से इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। इससे पहले भी दो सवाल उठाए जाते हैं।

हमः

1. महाराष्ट्र राज्य में "माना" समुदाय "गोंड" की उप-जनजाति है और अनुसूचित जनजाति है या नहीं?

2. क्या दीना बनाम में इस न्यायालय का दो-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। नारायण सिंह (संक्षिप्तता "दीना प्रथम" के लिए) और

दादाजी बनाम में इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय। सुखदेवबाबू (संक्षिप्तता के लिए "दीना द्वितीय") को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र राज्य बनाम। मिलिंद? "

90. 'माना' जाति भी उन जातियों में से एक थी जो

91. इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में प्रविष्टि 18 में "सहित" शब्द को हटाने पर ध्यान दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माना एक शब्द नहीं है। गोंड की उप-जनजाति। पैराग्राफ 30 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः -

" 30. अधिकांश समूह प्रविष्टियों में पाया जाने वाला सामान्य पैटर्न यह है कि समूह में एक प्रविष्टि और दूसरी प्रविष्टि के बीच एक विराम चिह्न अल्पविराम (,) होता है जो दर्शाता है कि उनमें से प्रत्येक को अपने आप में एक अलग अनुसूचित जनजाति माना जाता है। वर्तमान मामले में, अनुसूची की प्रविष्टि 18 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उसमें उल्लिखित प्रत्येक जनजाति को अपने आप में एक अलग जनजाति माना जाता है न कि "गोंड" की उप-जनजाति। गोंड "एक अनुसूचित जनजाति है, यह विवादित नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि अरख या अरख आदि सहित "गोंड" 1956 के संशोधन अधिनियम 63 की प्रविष्टि 12 में महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य में पाया गया है।

वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 1976 के संशोधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची की प्रविष्टि 18 में "सम्मिलित" शब्द को जानबूझकर हटा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि प्रविष्टि 18 में निर्दिष्ट जनजातियों में से प्रत्येक को अपने आप में एक अलग जनजाति माना जाता है। इसलिए, "माना" "गोंड" की उप-जनजाति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग जनजाति है और एक अनुसूचित जनजाति है।

प्रविष्टि 'गोंड गोवारी' में। 'गोवारी' शब्द के साथ 'गोंड' जोड़ दिया जाता है। 'गोंड गोवारी' अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है कि 'गोंड गोवारी' समुदाय का संबंध 'गोंड' जनजाति से है। 'माना' समुदाय का ऐसा कोई संकेत नहीं है और जहां तक 'गोंड गोवारी' का संबंध है, हमारा विचार स्पष्ट है कि 'गोंड गोवारी' एक ऐसा समुदाय है जिसका 'गोंड' के साथ संबंध है और यह 'गोंड' की उप-जनजाति है। अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में 'गोंड गोवारी' का प्रवेश 'गोंड' की एक उप-जनजाति के रूप में था जो है पिछड़े वर्ग आयोग, 1955 की एक रिपोर्ट से स्पष्ट। जब प्रविष्टि 'गोंड गोवारी' का समावेश (गोंड की उप-जनजाति) के रूप में किया गया था, तो 'गोंड' के साथ इसकी आत्मीयता को किसी भी आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

93. महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम जमात मंडल (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को यह मानने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि 'गोंड गोवारी' का 'गोंड' के साथ कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम जमात मंडल में इस न्यायालय का निर्णय

(उपर्युक्त) पूरी तरह से प्रविष्टि 18 में "सहित" शब्द को हटाने पर आधारित है। इस मामले के उद्देश्य के लिए, हमें इस बारे में अधिक जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि "सम्मिलित" शब्द को हटाने में संसद का क्या इरादा है और "सहित" शब्द को हटाने से, सामान्य समूह में शामिल सभी जनजातियों को अलग माना जाएगा यानी प्रविष्टि 18 को अलग माना जाएगा और इसका 'गोंड' से कोई लेना-देना नहीं है।

94. हम महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम में निर्णय के अनुपात की शुद्धता के बारे में अपने स्वयं के संदेहों को स्वीकार करते हैं। समूह प्रविष्टि के संबंध में जमात मंडल। अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार,

संविधान के प्रयोजनों के लिए जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। एक प्रविष्टि में कई जनजातियों को एक साथ जोड़ने के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, लेकिन जैसा कि 'गोंड गोवारी' के संबंध में ऊपर देखा गया है, 'गोंड' और महाराष्ट्र राज्य बनाम माना आदिम में इस न्यायालय के फैसले के साथ आत्मीयता स्पष्ट से अधिक है।

जमात मंडल (सुप्रा) को यह मानने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है और [2020] 11 एस. सी. आर. से किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है।

'गोंड गोवारी' जनजाति द्वारा गोंड के साथ स्थापित किया जाए। इस प्रकार जहां तक अनुसूचित जनजाति 'गोंड गोवारी' का संबंध है, हम दिनांकित 24.04.2984 सरकारी प्रस्ताव में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। 95. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न संख्या 5 और 6 का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देते हैंः -

जवाब-नहीं। 5

जाति 'गोवारी' 'गोंड गोवारी' के समान नहीं है। उच्च न्यायालय 'गोवारी' जाति को 'गोंड गोवारी' घोषित करने की अनुमति नहीं दे सकता था।

जवाब-नहीं। 6

उच्च न्यायालय का यह विचार सही नहीं है कि अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 की प्रविष्टि 18 में आइटम No.28 के रूप में दिखाया गया 'गोंड गोवारी' 'गोंड' की उप-जनजाति नहीं है। 'गोंड गोवारी' के लिए जाति प्रमाण पत्र की वैधता का परीक्षण दिनांकित सरकारी प्रस्ताव में निर्दिष्ट आत्मीयता परीक्षण के आधार पर किया जाना है। 24.04.1985 .

मान लीजिए कि 'गोवारी' अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र 'गोंड गोवारी' के हकदार हैं। उच्च न्यायालय के फैसले का पूरा आधार कि जनजाति 'गोंड गोवारी' 1911 से पहले पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी, त्रुटिपूर्ण पाया गया है, निर्णय के पूरे आधार को खारिज कर दिया गया है। 97. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा बहुत जोर दिया गया है कि राज्य सरकार ने 1967 में इसकी सिफारिश की थी

और 1979 में 'गोवारी' को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए, यह बाद में अपना विचार नहीं बदल सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 74 (2) में दिए गए कारणों में से एक इस प्रकार हैः -

“ 74 (2) . हम केंद्र और राज्य द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं

गोंड की उप-जनजाति नहीं, बल्कि स्वतंत्र जनजाति, और (ग) यह गोवारी समुदाय है जिसे प्रमाण पत्र जारी करना होगा

गोंड गोवारी "। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. केशव विश्वनाथ सोनी और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

98. जब राज्य ने 1979 के बाद भारत सरकार को स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'गोवारी' समुदाय अनुसूचित जनजाति के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और उसके बाद 1984 के बाद, महाराष्ट्र राज्य में जनजातीय विभाग द्वारा कई अध्ययन किए गए, जिसमें दिनांकित 'आईडी2' की रिपोर्ट भी शामिल है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि 'गोंड गोवारी' और 'गोवारी' अलग समुदाय है और 'गोवारी' अनुसूचित जनजाति नहीं है, रिट में उच्च न्यायालय के समक्ष रुख लेने में कोई त्रुटि नहीं थी

याचिका है कि 'गोवारी' अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के हकदार नहीं हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय ने कैसे कहा है कि वह केंद्र और राज्य सरकार के इस विचार को स्वीकार करता है कि 'गोवारी' समुदाय को अनुसूचित जनजाति आदेश में शामिल किया जाए।

99. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी रिपोर्ट पर भरोसा किया है

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई द्वारा "महाराष्ट्र के 'गोवारी' समुदाय के सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन" पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि 'गोंड गोवारी' और 'गोवारी' के बीच बड़े अंतर हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को अध्ययन सौंपने के राज्य सरकार के फैसले पर ध्यान दिया है, जो तथ्य फैसले के पैराग्राफ 86 में देखे गए हैं। हालाँकि रिकॉर्ड पर लाई गई 29.10.2020 की रिपोर्ट राज्य द्वारा लिए गए रुख की पुष्टि करती है कि दोनों समुदाय अलग और अलग हैं और 'गोवारी' अनुसूचित जनजाति नहीं हैं, लेकिन हमें अपने निर्णय को आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है

ऐसी रिपोर्ट पर जिसके लाभ की रिपोर्ट रिट याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय को उपलब्ध नहीं थी। 100. अब हम श्री रोहतगी की अंतिम प्रस्तुति पर आते हैं। श्री रोहतगी ने सदस्यों को वह अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया

' गोवारी समुदाय को उच्च न्यायालय के दिनांक 14.08.2018 के फैसले के बाद मंजूरी दी गई थी, जिसके आधार पर बड़ी संख्या में छात्रों ने अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर रोजगार का लाभ उठाते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लिया है। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जिन्हें इस न्यायालय द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई घोषणा के बाद, अधिकारियों ने 'गोवारी' समुदाय को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र देने के लिए आगे बढ़े और यह सच है कि इस तरह के अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर, कई छात्रों ने अनुसूचित जनजाति के रूप में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होगा

उम्मीदवार और व्यक्तियों ने अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के रूप में भी रोजगार प्राप्त किया है। महाराष्ट्र राज्य ने इन अपीलों को देर से दायर किया है।

इन अपीलों को दायर करने में देरी को हम [2020] 11 एस. सी. आर. द्वारा पहले ही माफ कर दिया गया है।

और इन अपीलों में उच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव पर कोई अंतरिम आदेश नहीं होने के कारण, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का अनुदान उच्च न्यायालय के फैसले का स्वाभाविक परिणाम था।

101. हम न्याय के अंत में निर्देश देते हैं कि 'गोवारी' समुदाय के सदस्यों द्वारा लिया गया प्रवेश और रोजगार

आज तक 14.08.2018 के बीच उन्हें दिए गए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का आधार इस निर्णय से प्रभावित नहीं होगा और उन्हें उनके द्वारा प्राप्त अनुसूचित जनजाति के लाभ को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, उपरोक्त अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी भी और लाभ के हकदार नहीं होंगे, सिवाय इसके कि वे अनुसूचित जाति के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपने प्रारंभिक प्रवेश या विभिन्न स्थानों पर रोजगार के लिए पात्र होंगे।

14.08.2018 और इस दिन के बीच प्राप्त 'गोवारी' समुदाय को दिया गया जनजाति प्रमाण पत्र।

102. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रविष्टि 18 में मद 28 में निर्दिष्ट 'गोवारी' को 'गोंड गोवारी' के रूप में अनुसूचित जनजाति घोषित करने में गलती की।

103. नतीजतन, हम अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.08.2018 के विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं और रिट को खारिज कर देते हैं

याचिकाएँ। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे